छत्तीसगढ़ शासन

# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

श्री विष्णुदेव साय जी
मान. मुख्यमंत्री

श्री अरुण साव जी
मान. उप मुख्यमंत्री

## वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

## वर्ष 2024-25

मान. श्री सी.आर. पाटिल, केन्द्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, मान. श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, मान. डा. रमन सिंह, अध्यक्ष छ.ग. विधानसभा एवं श्री संतोष पाण्डे, सांसद राजनांदगांव लोक सभा की उपस्थिति में जिला राजनांदगांव के जल जीवन मिशन के कार्यों का अनुश्रवण दिनांक 28.09.2024

मान. श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन लो.स्वा.यां. विभाग के कर कमलों द्वारा जिला मुंगेली खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत जल शोधन संयंत्र का भूमि पूजन एवं शिलान्यास दिनांक 07.12.2024

छत्तीसगढ़ शासन

# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

## वर्ष 2024-25

| | | |
|---|---|---|
| उप मुख्यमंत्री | - | माननीय श्री अरूण साव |

### मंत्रालय

| | | |
|---|---|---|
| सचिव | - | श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक |
| मिशन संचालक | - | डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे |
| अवर सचिव | - | श्री टी. आर. भतपहरी |
| विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी | - | श्री के. के. मरकाम |

### विभागाध्यक्ष

| | | |
|---|---|---|
| प्रमुख अभियंता | - | श्री टी.डी. साण्डिल्य |

बीजापुर आवर्धन जल प्रदाय योजना अंतर्गत निर्मित उच्चस्तरीय जलागार
क्षमता 500 कि.ली. जिला बीजापुर

घरघोड़ा आवर्धन जलप्रदाय योजना  जिला रायगढ़ अंतर्गत निर्मित
जल शुद्धिकरण संयंत्र क्षमता 1.6 एम.एल.डी.

# अनुक्रमणिका


| क्रमांक | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1. | भाग–1 विभागीय संरचना | 1–7 |
| 2. | भाग–2 बजट प्रावधान | 8–9 |
| 3. | भाग–3 राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | 10–39 |
| 4. | भाग–4 सामान्य प्रशासनिक विषय | 40–44 |
| 5. | भाग–5 प्रकाशन | 45–45 |
| 6. | भाग–6 अभिनव योजना | 46–46 |
| 7. | भाग–7 सारांश | 47–52 |

मान. श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन
मान. डॉ. रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष छ.ग. एवं श्री टंक राम वर्मा, मंत्री, छ.ग. शासन द्वारा
जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम खम्हरिया विकासखण्ड बेरला, जिला बेमेतरा हर घर जल अभिनंदन प्रमाणपत्र
प्रदान करते हुए (कार्यक्रम स्थान नवागढ़) दिनांक 21.12.2024

मान. श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन लो.स्वा.यां. विभाग, द्वारा ग्राम अगमधाम-खण्डवा,
विकासखण्ड सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा की सतही स्रोत आधारित समूह जल प्रदाय योजना के
क्रियान्वित कार्यों का निरीक्षण दिनांक 01.01.2025 के दौरान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए

# भाग - एक

## विभागीय संरचना

### 1.1 सामान्य :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं को तैयार कर क्रियान्वयन तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों की आवश्यकता के अनुरूप जलप्रदाय योजना तैयार कर क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है।

### 1.2 विभागीय संरचना :

मंत्रालय के अधीनस्थ विभागीय संरचना में प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष हैं। कार्यालय प्रमुख अभियंता, तृतीय तल, चतुर्थ ब्लाक, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में स्थित है। विभागाध्यक्ष कार्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। प्रदेश में परिक्षेत्रवार तीन मुख्य अभियंता कार्यालय निम्नानुसार कार्यरत् हैं:–

**(अ) मुख्य अभियंता, रायपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय रायपुर :**

**कार्यक्षेत्र-** रायपुर एवं दुर्ग राजस्व संभाग अंतर्गत 12 जिले क्रमशः रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार–भाटापारा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई एवं मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी ।

**(ब) मुख्य अभियंता, बिलासपुर परिक्षेत्र- मुख्यालय बिलासपुर :**

**कार्यक्षेत्र-** बिलासपुर एवं सरगुजा राजस्व संभाग के अंतर्गत 14 जिले क्रमशः बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सारंगढ़–बिलाईगढ, सक्ती एवं मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर।

**(स) मुख्य अभियंता, जगदलपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय जगदलपुर:**

**कार्यक्षेत्र-** बस्तर राजस्व संभाग के अंतर्गत 7 जिले क्रमशः बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोण्डागांव, कांकेर एवं नारायणपुर।

इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियंता कार्यालय में मुख्य अभियंता (सिविल) का एक पद तथा मुख्य अभियंता (वि0/यां0) का एक पद सृजित है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता (सिविल), राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के प्रभारी होते हैं, उनके द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय में विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। मुख्य अभियंता (वि0/यां0) का उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रदेश के विद्युत एवं यांत्रिकी संकाय के कार्यों का अनुश्रवण एवं समन्वय करने का है।

## 1.3 मैदानी स्तर पर विभागीय संरचना :

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सिविल संकाय के राजस्व संभाग स्तर पर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा एवं जगदलपुर मण्डल कार्यालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय कोण्डागांव में भी मण्डल कार्यालय कार्यरत् हैं। इस प्रकार राज्य में कुल छः मंडल कार्यालय हैं। मण्डल कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख, अधीक्षण अभियंता होते हैं।

प्रदेश के जिला स्तर पर एक सिविल खण्ड कार्यालय कार्यरत् है, इसके अतिरिक्त रायपुर, बेमेतरा, जगदलपुर और कोरबा में एक–एक परियोजना खण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। इस प्रकार (सिविल) के जिला स्तरीय 33 खंड कार्यालय, 4 परियोजना खण्ड कार्यालय स्थापित हैं। जिनके कार्यालय प्रमुख, कार्यपालन अभियंता हैं। इन खण्ड कार्यालयों के अधीन कुल 89 उपखण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। उपखण्ड कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) कार्यालय प्रमुख होते हैं।

विभाग के विद्युत/यांत्रिकी संकाय हेतु राज्य में एक मण्डल कार्यालय रायपुर में स्थापित है। जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। जिसके अंतर्गत 5 विद्युत/यांत्रिकी खण्ड कार्यालय, क्रमशः रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर में कार्यरत् हैं। इन खण्ड कार्यालयों के अधीन जिला मुख्यालयों पर 27 विद्युत/यांत्रिकी उपखण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। उपखण्ड कार्यालय में सहायक अभियंता (वि/यां) कार्यालय प्रमुख होते है।

# विभागीय संरचना

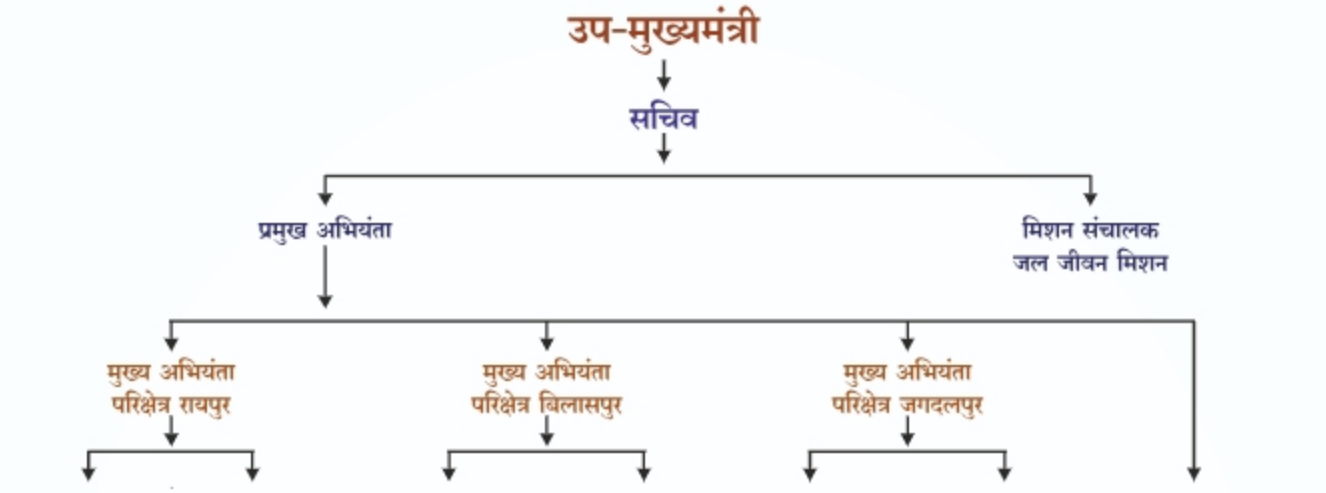


| अधीक्षण अभियंता, मंडल रायपुर | अधीक्षण अभियंता, मंडल दुर्ग | अधीक्षण अभियंता, मंडल बिलासपुर | अधीक्षण अभियंता, मंडल अंबिकापुर | अधीक्षण अभियंता, मंडल जगदलपुर | अधीक्षण अभियंता, मंडल कोण्डागांव | अधीक्षण अभियंता, वि0/यां0 मंडल, रायपुर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) खण्ड रायपुर<br>उपखंड रायपुर<br>भूजल संवर्धन उपखंड रायपुर<br>(2) खण्ड धमतरी<br>उपखंड धमतरी<br>उपखंड कुरूद<br>उपखंड नगरी<br>(3) खण्ड महासमुंद<br>उपखंड महासमुंद<br>उपखंड सरायपाली<br>(4) खण्ड बलौदाबाजार<br>उपखंड भाटापारा<br>उपखंड बलौदाबाजार<br>उपखंड कसडोल<br>(5) खण्ड गरियाबंद<br>उपखंड गरियाबंद<br>उपखंड राजिम<br>उपखंड देवभोग<br>(6) परि.खण्ड रायपुर<br>परि. उपखंड क. 1<br>रायपुर,<br>परि. उपखंड क. 2<br>रायपुर | (1) खण्ड दुर्ग<br>उपखंड दुर्ग<br>उपखंड पाटन<br>(2) खण्ड बालोद<br>उपखंड बालोद<br>उपखंड गुंडरदेही<br>उपखंड डौंडी<br>(3) खण्ड बेमेतरा<br>उपखंड बेमेतरा<br>उपखंड साजा<br>(4) खण्ड राजनांदगांव<br>उपखंड राजनांदगांव<br>उपखंड डोंगरगढ़<br>वि. संधा. उपखण्ड, राजनांदगांव<br>(5) खण्ड खैरागढ़–छुईखदान–गंडई<br>उपखंड खैरागढ़<br>उपखंड छुईखदान<br>(6) खण्ड मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी<br>उपखंड चौकी<br>उपखंड मोहला<br>(7) खण्ड कबीरधाम<br>उपखंड कवर्धा<br>उपखंड पंडरिया<br>उपखंड बोडला<br>(8) परि.खण्ड बेमेतरा<br>परि. उपखंड क.1<br>बेमेतरा<br>परि. उपखंड क.2<br>बेमेतरा<br>परि. उपखंड क.3<br>बेमेतरा | (1) खण्ड बिलासपुर<br>उपखंड बिलासपुर<br>उपखंड तखतपुर<br>(2) खण्ड गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही<br>उपखंड गौरेला<br>(3) खण्ड मुंगेली<br>उपखंड मुंगेली<br>उपखंड पथरिया<br>(4) खण्ड कोरबा<br>उपखंड कोरबा<br>उपखंड कटघोरा<br>(5) खण्ड जांजगीर–चांपा<br>उपखंड चांपा<br>उपखंड अकलतरा<br>(6) खण्ड सक्ती<br>उपखंड सक्ती<br>उपखंड डभरा<br>(7) खण्ड रायगढ़<br>उपखंड रायगढ़<br>उपखंड धरमजयगढ़<br>उपखंड घरघोड़ा<br>उपखंड खरसिया<br>(8) खण्ड सारंगढ़–बिलाईगढ़<br>उपखंड सारंगढ़<br>(9) परि.खण्ड कोरबा<br>परि. उपखंड क. 1<br>कोरबा<br>परि. उपखंड क. 2<br>कोरबा | (1) खण्ड अंबिकापुर<br>उपखंड अम्बिकापुर<br>उपखंड सीतापुर<br>(2) खण्ड बलरामपुर<br>उपखंड बलरामपुर<br>उपखंड कुसमी<br>उपखंड रामानुजगंज<br>उपखंड वाड्रफनगर<br>(3) खण्ड सूरजपुर<br>उपखंड सूरजपुर<br>उपखंड प्रतापपुर<br>उपखंड ओड़गी<br>(4) खण्ड जशपुर<br>उपखंड जशपुर<br>उपखंड कुनकुरी<br>उपखंड पत्थलगांव<br>उपखंड कांसाबेल<br>(5) खण्ड कोरिया<br>उपखंड बैकुंठपुर<br>उपखंड जनकपुर<br>(6) खण्ड मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर<br>उपखंड मनेन्द्रगढ़<br>उपखंड चिरमिरी | (1) खण्ड जगदलपुर<br>उपखंड क.1<br>जगदलपुर (मुख्यालय बस्तर)<br>उपखंड क.2<br>जगदलपुर<br>उपखंड तोकापाल<br>भू.सं.उपखंड<br>जगदलपुर<br>संधा.उपखंड<br>जगदलपुर<br>(2) खण्ड दंतेवाडा<br>उपखंड दंतेवाड़ा<br>उपखंड क.2 दंतेवाड़ा<br>(3) खण्ड सुकमा<br>उपखंड सुकमा<br>उपखंड कोंटा<br>(4) खण्ड बीजापुर<br>उपखंड बीजापुर<br>उपखंड भोपालपटनम<br>(5) परि.खण्ड जगदलपुर<br>परि.उपखण्ड क 3<br>जगदलपुर<br>परि.उपखण्ड क 4<br>जगदलपुर | (1) खण्ड कोण्डागांव<br>उपखंड कोंडागांव<br>उपखंड केशकाल<br>(2) खण्ड कांकेर<br>उपखंड कांकेर<br>उपखंड भानुप्रतापपुर<br>उपखंड अंतागढ़<br>(3) खण्ड नारायणपुर<br>उपखण्ड नारायणपुर | (1) वि/यां खण्ड रायपुर<br>उपखंड रायपुर<br>उपखंड गरियाबंद<br>उपखंड बलौदाबाजार<br>उपखंड धमतरी<br>उपखंड महासमुंद<br>(2) वि/यां खण्ड राजनांदगांव<br>उपखंड दुर्ग<br>उपखंड बालोद<br>उपखंड बेमेतरा<br>उपखंड राजनांदगांव<br>उपखंड कवर्धा<br>(3) वि/यां खण्ड बिलासपुर<br>उपखंड बिलासपुर<br>उपखंड मुंगेली<br>उपखंड चांपा<br>उपखंड कोरबा<br>उपखंड रायगढ़<br>(4) वि/यां खण्ड अम्बिकापुर<br>उपखंड अम्बिकापुर<br>उपखंड सूरजपुर<br>उपखंड बलरामपुर<br>उपखंड कोरिया<br>उपखंड जशपुर<br>(5) वि/यां खण्ड जगदलपुर<br>उपखण्ड जगदलपुर<br>उपखण्ड कोण्डागांव<br>उपखंड दंतेवाडा<br>उपखंड सुकमा<br>उपखंड कांकेर<br>उपखंड बीजापुर<br>उपखंड नारायणपुर |

## 1.4 विभाग के दायित्वः

वर्तमान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 50.04 लाख ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) द्वारा, 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से, गुणवत्तायुक्त शुद्ध पेयजल, दीर्घकालीन अवधि तक के लिए निरंतर उपलब्ध कराना, विभाग का दायित्व है। विभाग के अन्य दायित्व निम्नानुसार हैं :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु, पेयजल योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- समस्याग्रस्त बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपंप योजनाओं का क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चस्तरीय टंकी आधारित नल जल योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे ग्रामों/बसाहटों जहां पर्याप्त मात्रा में भू–गर्भीय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है, अथवा भू–जल की गुणवत्ता प्रभावित है, वहां सतही स्रोत पर आधारित समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- जल गुणवत्ता यथा लौह आधिक्य, फ्लोराइड आधिक्य, आर्सेनिक आधिक्य व लवण आधिक्य से प्रभावित बसाहटों में आवश्यकतानुसार जल शुद्विकरण संयंत्र की स्थापना एवं अनुरक्षण।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल प्रदाय हेतु स्थापित विभागीय हैण्डपम्पों का अनुरक्षण।
- ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल स्रोतों की फील्ड टेस्ट किट से जल गुणवत्ता की जाँच एवं उसकी सतत् निगरानी तथा ग्राम पंचायतों के साथ–साथ स्थानीय लोगों को इस संबंध में प्रशिक्षित करना।
- राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं जल नमूनों का परीक्षण कार्य।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जल स्रोतों एवं संचालित योजनाओं की निरंतरता हेतु जल संरक्षण, भूजल संवर्धन आदि कार्यों का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय शालाओं, शासकीय भवन युक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा अन्य शासकीय भवनों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की व्यवस्था।
- नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों की मांग अनुसार पेयजल एवं जलमल निकास योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन का कार्य।
- मेले में पेयजल एवं अस्थाई शौचालय व्यवस्था।

## 1.5 सामान्य जानकारी :

प्रदेश में वर्तमान में कुल आबाद ग्राम 19,643 हैं, इनमें कुल 75,192 बसाहटें चिन्हित की गई हैं। इन सभी बसाहटों में कम से कम एक पेयजल स्रोत निर्मित किया जा चुका है। पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश के कुल 184 नगरीय निकायों में से 24 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

## 1.6 प्रमुख विशेषताएं:

राज्य में जलप्रदाय स्रोतों के विकास की मुख्य रूप से जिम्मेदारी भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची अनुसार राज्य सरकारों की है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु समय–समय पर नीति निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन की व्यवस्था राज्य शासन एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना हेतु भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल व्यवस्था राज्य शासन अपने संसाधनों से भी उपलब्ध कराती है। विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजना की लागत का राज्य शासन द्वारा 70 प्रतिशत अनुदान एवं 30 प्रतिशत नगरीय निकायों के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

## 1.7 लक्ष्य:

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करना।
- समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा शत–प्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्रोतों एवं योजनाओं का संचालन एवं संधारण।
- समूह जलप्रदाय योजनाओं के हेडवर्क्स का संचालन–संधारण।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शालाओं, आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में रनिंग वॉटर से पेयजल प्रदाय।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सभी पेयजल स्रोतों का फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से वर्ष में एक बार केमिकल परीक्षण एवं दो बार जीवाणु परीक्षण किया जाना तथा सभी बसाहटों के न्यूनतम एक पेयजल स्रोत के जल नमूने का जिला पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाना।

## 1.8 महत्पूर्ण सांख्यिकी (माह दिसंबर, 2024 की स्थिति में):

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | ग्रामों की संख्या | : | 19,643 |
| (2) | बसाहटें | : | 75,192 |
| (3) | स्थापित हैंडपंप | : | 2,79,454 |
| (4) | शालाओं में पेयजल व्यवस्था :- | | |
| | शालाओं की संख्या | : | 46,280 |
| | रनिंग वॉटर से पेयजल उपलब्ध शालाओं की संख्या | : | 43,980 |
| (5) | आँगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था :- | | |
| | आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या | : | 45,731 |
| | रनिंग वॉटर से पेयजल उपलब्ध आंगनबाड़ियों की संख्या | : | 41,720 |
| (6) | ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाएं (जे.जे.एम. लागू होने के पूर्व स्वीकृत):- | | |
| | कुल स्वीकृत योजनाएं | : | 4,524 |
| | पूर्ण योजनाएं | : | 4,524 |
| (7) | स्थल जल प्रदाय योजनाएं:- (जे.जे.एम. लागू होने के पूर्व स्वीकृत):- | | |
| | कुल स्वीकृत योजनाएं | : | 2,100 |
| | पूर्ण योजनाएं | : | 2,100 |
| (8) | सोलर आधारित (900 वॉट) योजनाएं (जे.जे.एम. लागू होने के पूर्व स्वीकृत ):- | | |
| | कुल स्वीकृत योजनाएं | : | 2,872 |
| | पूर्ण योजनाएं | : | 2,872 |

**(09) सोलर आधारित (600 वॉट)-ड्यूअल ऑपरेटेड पंप :(जे.जे.एम. लागू होने के पूर्व स्वीकृत)**

| | | |
|---|---|---|
| कुल स्वीकृत कार्य | : | 4,937 |
| पूर्ण कार्य | : | 4,937 |

**(10) जे.जे.एम. अंतर्गत स्थापित सोलर पंप:** : 7,489 / 12496

**(11) उपलब्ध कराये गये घरेलू नल कनेक्शन (31.12.2024 तक):** : 40,10,986

**(12) पेयजल गुणवत्ता :-** गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में स्थापित प्रदूषण निवारण संयंत्रों की स्थिति :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. लौह निवारण संयंत्र | : | 2,975 |
| 2. फ्लोराइड निवारण संयंत्र | : | 596 |
| 3. आर्सेनिक निवारण संयंत्र | : | 04 |
| 4. टी.डी.एस.(खारा पानी) निवारण संयंत्र | : | 169 |

**(13) नगरीय निकायों में जलप्रदाय व्यवस्था :-**

| | | |
|---|---|---|
| नगरीय निकायों की संख्या | : | 184 |
| क्रियान्वित योजनाएं | : | 160 |
| प्रगतिरत् योजनाएं | : | 24 |

# भाग - दो

## बजट प्रावधान

### 2.1. बजट (एक नजर में) :

वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के लिए बजट में सामान्य, अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य की योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है।

विभागीय बजट में जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए शासन द्वारा बजट में वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रू. 4500.00 करोड़ का प्रावधान है। समग्र में विगत तीन वर्षों में उपलब्ध कराये गये बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि रूपये लाख में)

| स.क्र. | वित्तीय वर्ष | बजट प्रावधान (अनुपूरक सहित) | कुल व्यय | व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-23 | 275201.31 | 257328.31 | 93.51% |
| 2 | 2023-24 | 489331.89 | 320944.89 | 63.58% |
| 3 | 2024-25 (दिसम्बर–2024) | 504827.35 | 174612.86 | 34.59% |

### 2.2 मांग संख्यावार बजट प्रावधान :

विभागीय बजट में वित्तीय वर्ष 2024–25 (31 दिसंबर 2024 तक) के लिये बजट में सामान्य, अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में राजस्व एवं पूंजीगत मद अंतर्गत प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

# वित्तीय वर्ष 2024-25 (31 दिसंबर 2024 तक)

(राशि रूपये लाख में)

| लेखा शीर्ष | मूल बजट प्रावधान | अनुपूरक बजट प्रावधान | कुल बजट प्रावधान | व्यय (दिसम्बर–2024 तक) | व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| **मांग संख्या-20** | | | | | |
| राजस्व अनुभाग | 33663.74 | 63.85 | 33727.59 | 20579.47 | 61.02 |
| पूंजी अनुभाग | 234053.11 | 0.00 | 234053.11 | 77157.28 | 32.97 |
| योग | **267716.85** | **63.85** | **267780.70** | **97736.75** | **36.50** |
| **मांग संख्या-41** | | | | | |
| राजस्व अनुभाग | 278.24 | 0.00 | 278.24 | 14.82 | 5.33 |
| पूंजी अनुभाग | 176921.97 | 0.00 | 176921.97 | 54968.91 | 31.07 |
| योग | **177200.21** | **0.00** | **177200.21** | **54983.73** | **31.03** |
| **मांग संख्या-64** | | | | | |
| राजस्व अनुभाग | 338.48 | 0.00 | 338.48 | 335.11 | 99.00 |
| पूंजी अनुभाग | 55836.06 | 0.00 | 55836.06 | 19309.16 | 34.58 |
| योग | **56174.54** | **0.00** | **56174.54** | **19644.27** | **34.97** |
| **मांग संख्या-80** | | | | | |
| राजस्व अनुभाग | 3581.90 | 0.00 | 3581.90 | 2248.11 | 62.76 |
| पूंजी अनुभाग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग | **3581.90** | **0.00** | **3581.90** | **2248.11** | **62.76** |
| **मांग संख्या-82** | | | | | |
| राजस्व अनुभाग | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| पूंजी अनुभाग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग | **90.00** | **0.00** | **90.00** | **0.00** | **0.00** |
| कुल योग | **504763.50** | **63.85** | **504827.35** | **174612.86** | **34.59** |

# भाग - तीन

## राज्य योजनाएँ तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

### 3.1 राज्य योजनाएँ

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन राज्य योजना के अंतर्गत किया जाता है। ग्रामीण पेयजल प्रदाय से संबंधित कार्य जो जलजीवन मिशन में सम्मिलित नहीं हैं उनका कियान्वयन राज्य योजना अंतर्गत किया जा रहा है ।

विभाग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में पेयजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभाग को राज्य मद से अनुदान की राशि प्रदान की जाती है।

**(अ) ग्रामीण पेयजल प्रदाय :**

1 **हैण्डपम्प योजनाएँ :** प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बसाहटों में नलकूप खनन उपरांत हैण्डपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हैण्डपंप योजनाओं का कियान्वयन राज्य मद से किया जाता है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्धारित लक्ष्य एवं माह दिसम्बर, 2024 तक की स्थिति में प्राप्त भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

| क्र. | विवरण | कुल लक्ष्य | खनित नलकूप | सफल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बसाहटों में नलकूप खनन | 6,473 | 3577 | 3004 |
| 2. | नगरीय निकायों में नलकूप खनन | 327 | 110 | 31 |
| 3. | निक्षेप मद अंतर्गत नलकूप खनन | – | 47 | 40 |

**भौगोलिक एवं भूगर्भीय पारिस्थितिकी (स्ट्रेटा) के आधार पर जिलेवार रिग मशीनों का आबंटन:-**

राज्य में कुल 37 रिग मशीनें हैं, जो आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिलों में कार्यरत् हैं।

**I. विभाग में तीन तरह की रिग मशीनें उपलब्ध हैं :-**

- काउलर माउन्टेड रिग मशीन – 2 नग
- ट्रेक्टर माउन्टेड रिग मशीन – 9 नग
- ट्रक माउन्टेड रिग मशीन – 26 नग

**ii. भूगर्भीय पारिस्थितिकी (स्ट्रेटा) की दृष्टि से रिग मशीनों की उपलब्धता-**

- डी.टी.एच. रिग मशीन – 32 नग ऐसी सतह जहॉ 10–15 मीटर तक मिट्टी, पत्थर तथा बाद में कड़ी चट्टान मिलता हो, ऐसी जगह इन मशीनों की सहायता से अधिक गहराई के नलकूपों का खनन किया जाता है।
- कॉम्बीनेशन रिंग मशीन – 05 नग ऐसी सतह जहॉ लगभग 30 से 40 मीटर तक बोल्डर, रेत व भसकने वाला स्ट्रेट्रा होता है एवं इस स्ट्रेट्रा में पानी नहीं मिलने पर बाद में कड़ी चट्टान प्राप्त होता है ऐसी जगह पर इन मशीनों की सहायता से नलकूप का खनन किया जाता है एवं पानी मिलने की स्थिति में ग्रेवल पेक्ड नलकूप खनन के लिए उपयोग किया जाता है।

विभागीय रिग मशीन द्वारा नलकूप खनन कार्य
ग्राम-पहाड़करवां, विकासखण्ड प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर

**iii. हाइड्रोफ्रेक्चरिंग यूनिट:**

- असफल नलकूपों को हाइड्रोफ्रेक्चरिंग कर सफल बनाने के लिए – 04 नग।

**iv. यील्ड टेस्ट यूनिट:**

- नलकूपों की जल क्षमता का आंकलन करने के लिए 03 यील्ड टेस्ट यूनिट कार्यरत् हैं।

## V. जिलेवार कार्यरत रिग मशीन, हाइड्रोफैक्चर यूनिट एवं यील्ड टेस्ट यूनिट :-

| कमांक | जिला | रिग मशीन की खनन क्षमता (मीटर में) | | | | हाइड्रो–फैक्चर यूनिट | यील्ड टेस्ट यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 90 मीटर | 120 मीटर | 150 मीटर | 180 मीटर | | |
| 1 | रायपुर | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 2 | बलौदाबाजार | 1 | – | 1 | – | | |
| 3 | धमतरी | 1 | – | 1 | – | | |
| 4 | गरियाबंद | 2 | – | – | – | | |
| 5 | महासमुंद | – | 1 | – | – | | |
| 6 | दुर्ग | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 7 | बालोद | – | 1 | – | – | | |
| 8 | बेमेतरा | – | 1 | – | – | | |
| 9 | राजनांदगांव | – | – | – | 1 | | |
| 10 | खैरागढ़– छुईखदान–गंडई | | | | | | |
| 11 | मोहला– मानपुर–अंबागढ़ चौकी | | | | | | |
| 12 | कबीरधाम | 1 | 1 | – | – | | |
| 13 | बिलासपुर | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 14 | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | – | 1 | – | – | | |
| 15 | मुंगेली | – | 1 | – | – | | |
| 16 | रायगढ़ | – | – | – | 1 | | |
| 17 | सारंगढ़ | | | | | | |
| 18 | जांजगीर चांपा | – | 1 | – | – | | |
| 19 | सक्ती | | | | | | |
| 20 | कोरबा | 1 | – | – | 1 | | |
| 21 | अंबिकापुर | – | – | 1 | – | 1 | – |
| 22 | कोरिया | – | 1 | – | – | | |
| 23 | मनेन्द्रगढ़ –चिरमिरी–भरतपुर | – | 1 | – | – | | |
| 24 | बलरामपुर | – | 1 | 1 | – | | |
| 25 | सूरजपुर | 1 | – | – | – | | |
| 26 | जशपुर | – | – | – | 1 | | |
| 27 | बस्तर | – | 2 | – | – | 1 | – |
| 28 | दंतेवाड़ा | – | – | 1 | – | | |
| 29 | बीजापुर | 1 | – | – | – | | |
| 30 | सुकमा | 1 | – | – | – | | |
| 31 | कोंडागांव | – | – | 1 | – | | |
| 32 | कांकेर | 1 | 1 | – | – | | |
| 33 | नारायणपुर | 1 | – | – | – | | |
| | योग– | 11 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 |

## 2. ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए नलजल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन जल जीवन मिशन के अतिरिक्त राज्य मद से भी किया जाता है। नलजल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत पाईप लाईन एवं उच्च स्तरीय टंकी के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन गुणवत्तायुक्त पेयजल की आपूर्ति किया जाना है।

जल जीवन मिशन से लाभान्वित हितग्राही श्रीमती हीराबाई
ग्राम-सुरकी, विकासखण्ड बेमेतरा, जिला बेमेतरा

## 3. ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना:

प्रदेश में भू–गर्भीय जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन से भू–गर्भीय जल स्तर में गिरावट के साथ–साथ पेयजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। परिणामतः भूगर्भीय जल स्रोतों की निरंतरता बनाए रखने एवं पेयजल व्यवस्था के लिए भू–गर्भीय जल पर निर्भरता को कम करते हुए सतही स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग आज की महती आवश्यकता हो गई है। प्रदेश में ऐसे बसाहटें जहां पर्याप्त मात्रा में भू–गर्भीय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा प्राप्त भूजल की गुणवत्ता प्रभावित है, उन ग्रामों के समूहों के लिए सतही स्रोतों पर आधारित समूह जल योजनाएं कियान्वित की गई हैं।

## i. विभागीय बजट से क्रियान्वित समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएँ :

### पूर्ण ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनाएं:-

| क्र. | जिला | विकास खंड | योजना का नाम | ग्रामों की संख्या | स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में) | योजना स्वीकृति की दिनांक | योजना की अद्यतन स्थिति | घरेलू नल कनेक्शन की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बेमेतरा | नवागढ़ | विकासखंड नवागढ़ के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह ग्राम जलप्रदाय योजना | 54 | 6297.30<br>7885.06<br>(पुनरीक्षित) | 15.02.2013<br>05.10.2018 | जलप्रदाय चालू | 14,098 |
| 2. | बेमेतरा | बेमेतरा | विकासखंड बेमेतरा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना | 57 | 6322.03<br>7816.24<br>(पुनरीक्षित) | 18.02.2013<br>14.10.2019 | जलप्रदाय चालू | 13,425 |
| 3. | बेमेतरा | साजा | विकासखंड साजा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना | 41 | 3825.00<br>4495.80<br>(पुनरीक्षित) | 15.02.2013<br>27.05.2019 | जलप्रदाय चालू | 8,481 |
| 4. | मोहला–मानपुर–अ.चौकी | चौकी | विकासखंड चौकी के आर्सेनिक से प्रभावित ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना | 21 | 2041.63<br>2922.98<br>(प्रथम पुनरीक्षित)<br>3384.96<br>(द्वितीय पुनरीक्षित) | 07.02.2015<br>16.03.2016<br><br>04.05.2017 | जलप्रदाय चालू | 7,596 |
| 5. | बस्तर (जगदलपुर) | बस्तर | विकासखंड बस्तर के फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों की कोसारटेडा समूह जलप्रदाय योजना | 33 | 4976.00<br>4968.00<br>(पुनरीक्षित) | 18.02.2013<br>10.09.2018 | जलप्रदाय प्रारंभ | 7,321 |

| क्र. | जिला | विकास खंड | योजना का नाम | ग्रामों की संख्या | स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में) | योजना स्वीकृति की दिनांक | योजना की अद्यतन स्थिति | घरेलू नल कनेक्शन की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | राजनांदगांव | राजनांदगांव | धीरी एनीकट पर 24 ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना | 24 | 2877.44 | 18.02.2016 | जल प्रदाय प्रारंभ | 8,175 |
| 7. | राजनांदगांव | राजनांदगांव | मोहारा एनीकट पर आधारित 23 ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना | 23 | 2334.60 | 18.02.2016 | जल प्रदाय प्रारंभ | 6,511 |
| 8. | दंतेवाड़ा | गीदम | ग्राम छिंदनार समूह जलप्रदाय योजन | 9 | 1835.36<br>2494.14 (पुनरीक्षित) | 18.03.2016<br>18.06.2018 | जल प्रदाय प्रारंभ | 2,809 |
| 9. | कबीरधाम | बोड़ला | पोड़ी समूह जलप्रदाय योजना | 11 | 1417.06<br>1618.99 (पुनरीक्षित) | 09.02.2016<br>09.02.2016 | जल प्रदाय प्रारंभ | 2,387 |
| 10. | सूरजपुर | सूरजपुर | हर्राटिकरा समूह जलप्रदाय योजना | 18 | 3026.43 | 17.02.2016 | जल प्रदाय प्रारंभ | 10,167 |
| 11. | बीजापुर | भोपाल पटनम | भोपालपट्नम रालापल्ली की समूह जलप्रदाय योजना | 19 | 1553.81 | 16.11.2016 | जल प्रदाय प्रारंभ | 1,593 |

## प्रगतिरत् ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनाः-

| क्र. | जिला | विकास खंड | योजना का नाम | ग्रामों की संख्या | स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में) | योजना स्वीकृति की दिनांक | योजना की अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बालोद | गुंडरदेही | ग्राम देवरी (द) समूह ग्राम जलप्रदाय योजना | 7 | 1095.68<br>1356.30 (पुनरीक्षित) | 15.02.2013<br>26.06.2018 | 90% पूर्ण (आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ) 2046 घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय |

## ii. निक्षेप मद के अंतर्गत स्वीकृत पूर्ण ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजनायें:-

(दिसंबर 2024 की स्थिति में)

| क्र. | जिला | योजना का नाम | सम्मिलित ग्रामों की संख्या | स्वीकृत दिनांक | कुल स्वीकृत राशि (रु. लाख में) | मद | अद्यतन भौतिक प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दन्तेवाड़ा | नेरली समूह जल प्रदाय योजना | 08 | 11/01/2018 | 1482.55 | एन.एम.डी.सी. | 1,359 घरेलू नल कनेक्शन कार्यपूर्ण कर 8 ग्राम में से 3 ग्रामों में जल प्रदाय प्रारंभ है |
| 2 | दन्तेवाड़ा | धुरली समूह जल प्रदाय योजना | 17 | 11/01/2018 | 3866.00 | एन.एम.डी.सी. | 5,539 घरेलू नल कनेक्शन कार्यपूर्ण कर 15 ग्रामों में जल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया। |
| 3 | कोरबा | चोटिया समूह जल प्रदाय योजना | 17 | 05/05/2017 | 3218.90 | डी.एम.एफ. | 4050 घरेलू नल कनेक्शन जलप्रदाय प्रारंभ |

### 4. भू-जल संवर्धन के कार्य:

ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध पेयजल स्रोत एवं योजनाओं की निरंतरता एवं स्थायित्व बनाये रखने हेतु भू–जल संवर्धन, वर्षा जल संचयन/संग्रहण, भू–जल स्रोतों के रिचार्जिंग के कार्यों को विभाग द्वारा किया जा रहा है।

इंजेक्शन वेल वी-वायर टेक्नोलाजी पद्धति से भू-जल संवर्धन कार्य ग्राम पंचायत बेन्द्रानवागांव, विकास खण्ड कुरूद, जिला धमतरी

## 5. नियद नेल्लानार योजना हेतु चयनित ग्रामों में पेयजल व्यवस्था :

राज्य सरकार की महत्वूर्ण योजना नियद नेल्लानार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों किये गये कार्य एवं ग्रामों की स्थिति :

1. कैम्पों की संख्या – 31
2. चयनित ग्राम – 113
3. ग्रामों की कुल जनसंख्या – 31,882
4. कुल परिवारों की संख्या – 9921
5. कुल स्थापित चालू हैण्डपंप – 870
6. कुल स्थापित चालू सोलर पंप – 120
7. विभागीय मशीन से नलकूप / हैण्डपंप – 67
8. जेजेएम अंतर्गत स्वीकृत योजना
   - सोलर पंप स्वीकृत / पूर्ण – 292 / 95
   - एस.व्ही.एस. स्वीकृत / पूर्ण – 100 / 24
   - एस.व्ही.एस.प्रगतिरत – 76
9. जेजेएम अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन की संख्या – 2312

कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन
ग्राम नयानार , जिला नारायणपुर

# बीजापुर पहुंचे डिप्टी सीएम साव, सड़क व पुल निर्माण तथा जल जीवन मिशन के कार्यों का लिया जायजा

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

**बीजापुर,** 19 नवंबर। बस्तर प्रवास के दूसरे दिन मंगलवार को बीजापुर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यहां पहुंचकर सड़क और पुल निर्माण कार्यों का जायजा लिया, वहीं उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों का भी निरीक्षण कर उसकी जानकारी ली।

डिप्टी सीएम साव ने इस दौरान ग्रामीणों से चर्चा कर विभिन्न योजनाओं के मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने बीजापुर एजुकेशन सिटी में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र 'समर्थ' का भ्रमण कर बच्चों से मुलाकात की और उनके समूह नृत्य की प्रस्तुति देखी। डिप्टी सीएम साव ने बीजापुर स्थित गारमेंट फैक्ट्री में महिलाओं का काम देखा। वे मिनी स्टेडियम में आयोजित बस्तर ओलंपिक में भी शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ लोक निर्माण





विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और प्रमुख अभियंता डॉ. एम.एल. अग्रवाल भी कार्यों के निरीक्षण के दौरान मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर के नेलसनार से गंगालूर तक निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। 50 किलोमीटर लंबाई के इस सड़क के 39 किलोमीटर हिस्से का काम पूर्ण कर लिया गया है।

उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाते हुए शेष 11 किलोमीटर सड़क का काम जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

### बस्तर में बदल रहे हालात, नियद नेल्ला नार से अंदरूनी क्षेत्रों में हो रहा तेजी से विकास –साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर के मिनी स्टेडियम में आयोजित बस्तर ओलंपिक को संबोधित करते हुए कहा कि विष्णु देव सरकार के कार्यों से बस्तर में बदलाव की बयार दिख रही है जिसका उदाहरण ये 12 हजार खिलाड़ी हैं जो बस्तर ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं। मैं इन खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बस्तर एवं बीजापुर के खिलाड़ी अपनी बेहतरीन खेल प्रतिभा का परिचय देकर देश-दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे।

उन्होंने कहा कि बीजापुर अत्यंत सुंदर क्षेत्र है। हमारी सरकार ने भटके हुए लोगों से मुख्य धारा में लौटने का आह्वान किया है, ताकि वे बेहतर जिंदगी जीकर अपने और अपने परिवार का सुनहरा भविष्य गढ़ सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्ला नार से अंदरूनी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण सहित स्कूलों, आंगनबाड़ियों, बिजली, पानी व स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। लोगों को शासन की योजनाओं से जोड़ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज सुलभ कराए जा रहे हैं।

आवासहीन परिवारों का सर्वे कर पक्का आवास दिया जा रहा है। हमारे सुरक्षा बलों के जवानों का बीजापुर के विकास में बड़ा योगदान है जिसकी सुरक्षा के साये में लोगों को शासन की योजनाओं से शामिल कर सरकार बेहतर जिंदगी दे रही है।

# विशेष पिछड़ी जनजाति बसाहट ग्राम छिंदौला में पहुंचा हर घर जल कनेक्शन

**जल जीवन मिशन से लाभान्वित हो रहे ग्रामवासी**

**घर में नल के माध्यम से पेयजल की मिल रही सुविधा**

**गरियाबंद (गंगा प्रकाश)।** केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन स्थापित किया जा रहा है। इसके तहत घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने के पानी की सुविधा प्रदाय की जा रही है। इससे ग्रामवासियों को पेयजल के लिए काफी सहूलियत हो रही है। इसी कड़ी में विकासखंड मैनपुर के ग्राम पंचायत दबनई के आश्रित ग्राम छिंदौला के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार खोलापारा में सोलर नल-जल प्रदाय योजना के माध्यम से हर घर नल कनेक्शन पहुंच गया है। ग्रामीण जल जीवन मिशन द्वारा घर पर ही रोजाना स्वच्छ पेयजल का लाभ ले पा रहे है। ग्रामीण अमर सिंह, पुनीत राम, मोनिका सोरी ने बताया कि पहले वह पानी के लिए लगभग एक





किलोमीटर दूर जाकर रोजाना झरिया एवं नाला से पानी लेकर आया करते थे। नहाने से लेकर खाना बनाने तक एवं पेयजल के लिए तक झरिया पर निर्भर हुआ करते थे। परंतु कार्य एवं जीविकोपार्जन की अन्य कार्यों को छोड़कर अधिक समय पानी लाने में ही गुजारना पड़ता था। शासन द्वारा हर घर तक नल कनेक्शन देने की पहल ने अब गांव के घर-घर तक पानी पहुंचा दिया है। जिससे पानी लाने लंबी दूरी तय नहीं करना पड़ता है। बिना किसी समस्या के आसानी से नल के माध्यम से पानी घर तक पहुंच जाता है। इस पहल से ग्रामीणों ने खुशियां जताते हुए शासन प्रशासन का आभार जताया है।

ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन के पूर्व गांव में रहने वाले पिछड़ी जनजाति सदस्यों को विश्वास ही नहीं था कि उनके घर पर भी स्वच्छ जल उपलब्ध हो सकता है। जल जीवन मिशन के माध्यम से सोलर सोलर नल जल प्रदाय योजना द्वारा पानी टंकी का निर्माण कर हर घर शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों की मौलिक सुविधा जैसी समस्याओं का समाधान करते हुए हर घर नल द्वारा शुद्ध पेयजल पहुंचा जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण पानी की अपनी बड़ी चिंता से मुक्त हो गये है।

## 4 संचालन एवं संधारण :

राज्य बजट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपंप योजना, गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में स्थापित आयरन रिमूव्हल प्लांट, फ्लोराइड रिमूव्हल प्लांट एवं आर.ओ. (रिवर्स ऑस्मोसिस) के संधारण कार्य किये जाते हैं। इसी कम में हैण्डपंपों के नियमित संधारण कार्यों के साथ–साथ स्थापित हैण्डपंपों का विशेष संधारण कार्य, पेयजल स्रोतों का निर्जीवीकरण, प्लेटफार्म मरम्मत एवं राईज़र पाईप बदलने/बढ़ाने के कार्य प्रावधानित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कियान्वित नलजल प्रदाय योजना एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिए स्वीकृत मापदण्ड अनुसार कमशः रू. 15,000 एवं रू. 5,000 के वार्षिक अनुदान, दो समान किस्तों में ग्राम पंचायतों को प्रदान करने का प्रावधान है।

## (ब) नगरीय जल प्रदाय योजनाएं :

नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन एवं कियान्वयन का कार्य स्थानीय निकायों की माँग एवं सहमति पर विभाग द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं का वित्तीय ढांचा 70 प्रतिशत शासकीय अनुदान एवं 30 प्रतिशत नगरीय निकायों को ऋण के रूप में होता है। योजनाओं के हस्तांतरण उपरांत संचालन एवं संधारण का कार्य संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है। प्रगतिरत योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

### प्रगतिरत् योजनाएं :

| क. | जिले का नाम | विधानसभा क्षेत्र का नाम | योजना का नाम | योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में) | स्वीकृति दिनांक | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कोरबा | कटघोरा | कटघोरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना | 1073.28<br>2069.37 प्रथम पुनरीक्षित<br>2463.85 द्वितीय पुनरीक्षित | 14.02.2013<br>16.11.2021<br>24.09.2024 | आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ |
| 2 | राजनांदगांव | डोंगरगांव | डोगरगांव आवर्धन जल प्रदाय योजना | 1113.91<br>1284.81 पुनरीक्षित | 06.10.2015<br>22.01.2022 | आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ |
| 3 | सक्ती | सक्ती | नया बाराद्वार नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना | 321.96<br>532.29 पुनरीक्षित | 10.03.2015<br>26.09.2024 | आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ |

| क. | जिले का नाम | विधानसभा क्षेत्र का नाम | योजना का नाम | योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में) | स्वीकृति दिनांक | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | जांजगीर–चांपा | बम्हनीडीह | सारागांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना | 212.02<br>361.17 पुनरीक्षित | 19.10.2011<br>24.09.2024 | आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ |
| 5 | रायगढ़ | धरमजयगढ़ | घरघोड़ा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना | 314.97<br>552.97 पुनरीक्षित | 12.03.2013<br>24.05.2021 | टेस्टिंग कार्य प्रगति पर |
| 6 | बेमेतरा | साजा | थानखम्हरिया आवर्धन जलप्रदाय योजना | 336.88<br>638.32 पुनरीक्षित | 14.02.2013<br>03.10.2020 | प्रगतिरत |
| 7 | बीजापुर | बीजापुर | भैरमगढ़ आवर्धन जलप्रदाय योजना | 1370.38<br>1593.62 प्रथम पुनरीक्षित<br>2085.47 द्वितीय पुनरीक्षित | 17.08.2017<br>02.05.2023<br>23.08.2024 | प्रगतिरत |
| 8 | बीजापुर | बीजापुर | बीजापुर आवर्धन जलप्रदाय योजना | 3448.70<br>3750.13 प्रथम पुनरीक्षित<br>4643.14 द्वितीय पुनरीक्षित | 31.03.2018<br>22.09.2023<br>26.09.2024 | प्रगतिरत |
| 9 | रायपुर | धरसींवा | खरोरा आवर्धन जलप्रदाय योजना | 1932.88<br>2657.52 पुनरीक्षित | 23.08.2017<br>22.08.2023 | प्रगतिरत |
| 10 | सक्ती | चंद्रपुर | डभरा आवर्धन जलप्रदाय योजना | 1139.68 | 30.03.2017 | प्रगतिरत |
| 11 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | बिलाईगढ़ | बिलाईगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना | 2022.38<br>2553.72 पुनरीक्षित | 04.05.2016<br>20.09.2024 | प्रगतिरत |
| 12 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | सारंगढ़ | बरमकेला आवर्धन जलप्रदाय योजना | 1333.04<br>1684.25 पुनरीक्षित | 31.03.2017<br>23.08.2024 | प्रगतिरत |

| क. | जिले का नाम | विधानसभा क्षेत्र का नाम | योजना का नाम | योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में) | स्वीकृति दिनांक | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | सारंगढ़ | सारंगढ़ आवर्धन जल प्रदाय योजना | 3447.80<br>4746.79 पुनरीक्षित | 28.03.2018<br>24.09.2024 | प्रगतिरत |
| 14 | बलौदाबाजार – भाटापारा | कसडोल | पलारी आवर्धन जलप्रदाय योजना | 1065.24<br>1543.97 पुनरीक्षित | 30.03.2017<br>23.08.2024 | प्रगतिरत |
| 15 | दुर्ग | दुर्ग ग्रामीण | उतई नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना | 1465.89<br>1894.10 पुनरीक्षित | 05.02.2016<br>24.11.2020 | प्रगतिरत |
| 16 | बालोद | डौंडीलोहारा | दल्लीराजहरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना | 3165.66 | 04.06.2016 | प्रगतिरत |
| 17 | बिलासपुर | कोटा | कोटा आवर्धन जल प्रदाय योजना | 1848.65<br>2406.23 पुनरीक्षित | 18.03.2019<br>26.09.2024 | प्रगतिरत |
| 18 | रायगढ़ | लैलूंगा | लैलूंगा आवर्धन जल प्रदाय योजना | 1164.99<br>1801.04 पुनरीक्षित | 28.03.2018<br>23.08.2024 | प्रगतिरत |
| 19 | कोरबा | तानाखार | पाली आवर्धन जलप्रदाय योजना | 794.16<br>990.29 पुनरीक्षित | 31.03.2017<br>30.05.2023 | प्रगतिरत |
| 20 | कोरबा | कटघोरा | छुरीकला आवर्धन जलप्रदाय योजना | 1089.55<br>1198.17 प्रथम पुनरीक्षित<br>1879.37 द्वितीय पुनरीक्षित | 31.03.2017<br>22.08.2023<br>15.10.2024 | प्रगतिरत |
| 21 | जशपुर | जशपुर | बगीचा आवर्धन जलप्रदाय योजना | 977.56<br>1156.12 पुनरीक्षित | 31.03.2017<br>13.09.2024 | प्रगतिरत |
| 22 | जशपुर | पत्थलगांव | कोतबा आवर्धन जलप्रदाय योजना | 801.37<br>985.51 पुनरीक्षित | 31.03.2017<br>13.09.2024 | प्रगतिरत |
| 23 | बलरामपुर | प्रतापपुर | वाड्रफनगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना | 969.96<br>1133.58 पुनरीक्षित | 31.03.2017<br>26.09.2024 | प्रगतिरत |
| 24 | कांकेर | भानुप्रतापपुर | चारामा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना | 933.31<br>1975.11 पुनरीक्षित | 26.02.2018<br>24.09.2024 | प्रगतिरत |

## 3.2 केंद्र प्रवर्तित योजनाएं :

केन्द्रीय वित्त पोषित पेयजल एवं संबंधित अन्य योजनाओं का कियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग में संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजना का विवरण निम्नानुसार है:–

### जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) :

**क. हर घर जल:** दिनांक 01.04.2019 से भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम कियान्वित किया जा रहा है इस **कार्यक्रम में पूर्व से कियान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के समस्त घटकों को समाहित कर दिया गया है।**

15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्र के नाम सम्बोधन में **''जल जीवन मिशन''** की घोषणा की गई है। जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों में ''हर घर नल से जल'' उपलब्ध कराया जाना है।

**उद्देश्य** :– प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को किफायती सेवा, न्यूनतम जल शुल्क प्रभार के बदले, नियमित और दीर्घकालीन आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाली पेयजल आपूर्ति, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना, ताकि ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

**ख. संस्थागत तंत्र :-**

**I. राष्ट्रीय स्तर -** राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एन.जे.जे.एम.) एक निदेशालय के रुप में कार्य करेगा। इस मिशन के पास ग्रामीण समुदायों को दीर्घकालीक पेयजल उपलब्ध कराकर मिशन का सफल कार्यान्वयन करने हेतु आवश्यक सभी शक्तियां होगी।

**ii. राज्य स्तर -** राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर समन्वय और नीतिगत मार्गदर्शन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) का गठन किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भारसाधक सचिव, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) के सदस्य सचिव है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सोसायटी के रुप मे पंजीकृत है। राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) को समस्त शक्तियां मंत्रिपरिषद्

जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन सुदूर ग्राम-करकापाल, वि.खं.-दुर्गकोंदल, जिला कांकेर

की बैठक दिनांक 13.02.2021 में पारित निर्णय अनुसार प्रदान की गई हैं।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) में (i) शीर्ष समिति (ii) कार्यकारिणी समिति है।

(i) **शीर्ष समिति** :– शीर्ष समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव एवं सदस्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भारसाधक सचिव हैं।

(ii) **कार्यकारिणी समिति** :– कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मिशन संचालक, जल जीवन मिशन एवं सदस्य सचिव प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हैं।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु समस्त वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

**iii. जिला स्तर -** जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) के अध्यक्ष जिला कलेक्टर एव सदस्य सचिव, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हैं।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 13.02.2021 में पारित निर्णय अनुसार जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु एकल/समूह में ग्राम की नलजल योजना/रेट्रोफिटिंग कार्यों (ग्राम के अंदर के कार्यों) का एकल/समूह में निविदा के माध्यम से कियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यों– सर्वे, डीपीआर, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, निविदा प्रकरण के निराकरण, अनुबंध करने, कार्यादेश जारी करने एवं कियान्वयन करने संबंधित समस्त अधिकार एवं रु. 5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपा गया है।

**iv. ग्राम पंचायत स्तर -** ग्राम जल स्वच्छता समिति (व्ही.डब्ल्यू.एस.सी.) अंतः ग्राम जल आपूर्ति एवं संरचना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रख–रखाव हेतु समिति गठित है। हर ग्रामीण घर में घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराना समिति की मुख्य भूमिका है। ग्राम सभा संकल्प और सामुदायिक योगदान के माध्यम से प्रतिबिम्बित समुदाय की तत्परता, गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने के कार्य भी समिति द्वारा किया जाता है। संविधान के 73वें संशोधन में परिकल्पित विधिमान्य इकाई के रुप में समिति कार्य करती है।

**v. कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां (आई.एस.ए.)-**

गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों/महिला स्व–सहायता समूहों को आईएसए कहते हैं। वे अंतः ग्राम आपूर्ति एवं संरचना की आयोजना, डिजाईन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख–रखाव के लिए समुदायों को प्रेरित करने और साथ लाने में भागीदार के रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.)/जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) द्वारा एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, जल संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका, आदि के क्षेत्र में काम करने वाले उपयुक्त जिलेवार गैर–सरकारी संगठनों की नियुक्तियॉ की गई है।

### vi. जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए नोडल विभाग -

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल जीवन मिशन के कार्यों के कियान्वयन हेतु नोडल विभाग है।

### vii. सेक्टर साझेदार -

सेक्टर साझेदार के रुप में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां (यूनिसेफ) एवं गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) कार्यरत् हैं।

## ग. वित्तीय आयोजना -

(1) **कव्हरेज मद -** जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 93 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। इस मद के अंतर्गत ग्राम/बसाहटों में पेयजल आपूर्ति के कार्य किये जाने का प्रावधान है। साथ ही जलगुणवत्ता जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं भारी तत्व (हैवी मेटल) से प्रभावित बसाहटों में शुद्व पेयजल व्यवस्था करने का भी प्रावधान हैं। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 एवं सामुदायिक अंशदान 10/5 प्रतिशत है।

(2) **सपोर्ट मद :-** जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 5 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। सपोर्ट मद के अंतर्गत योजनाओं के प्रचार–प्रसार, जन– जागरूकता एवं अन्य सहायक गतिविधियों के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण कार्य आदि हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है।

जिला मुंगेली द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार

**(3) जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी मद :-** जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 2 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। इस मद में पेयजल गुणवत्ता के परीक्षण हेतु जल परीक्षण प्रयोगशाला हेतु उपकरण एवं केमिकल्स की आपूर्ति, फील्ड टेस्ट किट का क्रय, जल परीक्षण से संबंधित रसायनों का क्रय तथा जलगुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु व्यय का प्रावधान है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है।

एन.ए.बी.एल. से संबंद्धता प्राप्त उपखण्डीय जल परीक्षण प्रयोगशाला, डभरा जिला सक्ती

**समुदाय का अंशदान-**

**i. योजना के लागत में अंशदान (पूंजीगत व्यय)–**

क. सामान्य क्षेत्र में इन विलेज वाटर सप्लाई संरचना के लिए 10 प्रतिशत अंशदान नगद/वस्तु/श्रम के रूप में प्रावधानित है।

ख. 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ग्रामों हेतु 5 प्रतिशत अंशदान नगद/वस्तु/श्रम के रूप में प्रावधानित है।

ग. पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 5 प्रतिशत अंशदान है।

घ. अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान या दान के मामले में, शेष राशि, 10 प्रतिशत/5 प्रतिशत (जैसा भी मामला हो), समुदाय का अंशदान है।

च. समुदाय मूल मॉडल से अधिक सेवा प्रदाय की योजना बना सकता है, इस शर्त के अधीन, कि मूल मॉडल से परे पूरी लागत उनके द्वारा वहन की जाएगी।

**ii. योजना के संचालन–संधारण हेतु अंशदान (संचालन संधारण व्यय)–**

क. संबंधित राज्यों के द्वारा नल कनेक्शन शुल्क, जल–कर दरें एवं अन्य शुल्क निर्धारण करने तथा करों की वसूली का अधिकार पंचायतों को सौंपे जाने की कार्यवाही प्रावधानित है।

ख. योजना की लागत का 10 प्रतिशत राशि संचालन एवं संधारण कार्य हेतु अनुदान पारितोषक के रूप में प्रदान की जावेगी जिसका उपयोग योजना के आकस्मिक संचालन एवं संधारण में किया जावेगा जिसकी भरपाई समुदाय के द्वारा जल कर से किया जावेगा, जो रिवाल्विंग फंड के रूप में रहेगा।

## घ. योजनाएं एवं कियान्वयन :-

योजनांतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर में एक कियाशील घरेलू नल कनेक्शन, जिसके माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, निर्धारित गुणवत्ता का दीर्घकालीक आधार पर नियमित जलप्रदाय किफायती शुल्क पर दिया जावेगा। इसके लिये निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के तहत गांव के भीतर स्रोत के विकास सहित जल आपूर्ति अधो–संरचना का निर्माण करके प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी प्रदान करना है :–

1. अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी देने के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन. आर.डी.डब्ल्यू.पी) के तहत चल रही योजनाओं के रेट्रोफिटिंग।
2. पूर्ण हो चुकी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को जल जीवन मिशन के अनुकूल बनाने के लिए उनकी रेट्रोफिटिंग।
3. निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भूजल/सतही स्रोत वाले गांवों में एकल ग्राम योजना।
4. शोधन की आवश्यकता वाले किंतु पर्याप्त भूजल वाले गांवों में एकल ग्राम योजना।
5. जलग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना के साथ समूह जलप्रदाय योजना।
6. एकांत/जनजातीय छोटे गांवों/बसाहटों में लघु सौर ऊर्जा आधारित पाइप जल आपूर्ति।

## च. जल जीवन मिशन के तहत एकीकृत जल प्रबंधन और आपूर्ति :-

स्रोत सुदृढ़ीकरण/संवर्धन, सभी सार्वजनिक भवनों पर वर्षा जल संचयन, बोरवेल रिचार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं स्रोत स्थिरता हेतु मनरेगा, एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना (आई.डब्ल्यू.एम.पी.), वित्त आयोग के अनुदान, राज्य योजना, एमपी लेड, एमएलए लेड, सीएसआर आदि मदों के अभिसरण से बुनियादी ढाँचे का विकास, निर्माण एवं पुनर्जिवीकरण।

i. अपशिष्ट जल प्रबंधन।

ii. अपशिष्ट जल संवहन एवं संकलन हेतु नालियों का निर्माण ।

iii. सामुदायिक सोख्ता गड्ढा/ अपशिष्ट स्थिरीकरण हेतु टैंको का निर्माण।

## छ सहायक गतिविधियाँ :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम (जेजेएम) के अंतर्गत की जाने वाली सहायक गतिविधियों हेतु निर्धारित प्रावधानित राशि 5% अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं–

### i. सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां :–

प्रशिक्षण, कार्यशाला, व्यक्तिगत् संपर्क, समाचार पत्र विज्ञापन, एस.एम.एस. से प्रचार, कला जत्था, मेला में प्रदर्शनी, दिवाल लेखन, बेनर, होर्डिंग, पोस्टर, पांपलेट, अच्छे कार्य एवं अनुभव के आदान प्रदान हेतु अवलोकन/भ्रमण कार्यक्रम (एक्सपोजर विजिट), प्रिन्ट

सामाग्रियों का वितरण, सम्मान समारोह, रैली, सामाजिक जागरूकता/गतिशीलता, परामर्श, गीत–संगीत, नाटक, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं विभिन्न माध्यमों द्वारा पेयजल के विषय पर प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ।

**ii. सामुदायिक सहभागिता एवं प्रशिक्षण :–**

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन, सामुदायिक रैली, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों की बैठक, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकायों के सदस्यों को ग्रामीण पेयजल योजनाओं के परिकल्पना, अनुश्रवण एवं संचालन हेतु प्रशिक्षण तथा मैदानी स्तर के अमले के साथ–साथ विभागीय अभियंताओं का प्रशिक्षण आदि।

**iii. मैनेजमेन्ट इनफार्मेशन सिस्टम एवं अन्य सहायक गतिविधियॉ :–**

उपखण्ड़ स्तर तक के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, प्रिंटर एवं यू.पी.एस. आदि का क्रय, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जी.आई.एस. डाटा प्रोडक्ट एवं एलाईड गतिविधियाँ, लोक शिकायत निदान पद्धति एवं उपग्रह छायाचित्रों पर आधारित एच.जी.एम. मैप की सहायता से भूगर्भीय जल स्रोतों का चिन्हांकन, समस्त पेयजल स्रोतों का जी.आई.एस. मैपिंग एवं आँकड़ों के संकलन का कार्य, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ आदि।

**ज. विविध गतिविधियां :-**

(क) स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन एवं सम–सामयिक अनुश्रवण।

(ख) प्रदान किये गये घरेलू नल कनेक्शनों एवं उनकी पुष्टि के आधार पर राशि जारी किया जाना।

(ग) ग्राम में एफ.एच.टी.सी. से नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के जल प्रदाय को डाटा को आईओटी/आई–क्लाउड से पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत मानिटरिंग किया जाना।

(घ) डिजीटल तकनीक का वृहद उपयोग।

**जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन :–**

**(अ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य -**

जल जीवन मिशन/अभिसरण के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में गुणवत्ता युक्त रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 31.12.2024 की स्थिति निम्नानुसार है:–

| विवरण | संख्या | रनिंग वॉटर युक्त | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| शाला | 46,280 | 43,980 | 95 |
| आंगनबाड़ी | 45,676 | 41,720 | 91 |
| आश्रमशाला | 2,468 | 2,468 | 100 |
| ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र | 5,374 | 5,243 | 98 |
| ग्राम पंचायत भवन | 10,904 | 6,803 | 62 |

**(ब) ग्रामीण परिवारों को कार्यरत् घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय कार्य :-**

राज्य में कुल 50.04 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से लाभान्वित किया जाना लक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रस्तावित कार्ययोजना राशि रू. 9,100 करोड़ की भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को प्रेषित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में नलजल योजना कियान्वित कर (रेट्रोफिटिंग, एकल नलजल प्रदाय योजना एवं सोलर आधारित जलप्रदाय योजनाएं) 11.08 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत् घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय कर लाभान्वित किया जाना लक्षित है।

जल जीवन मिशन अंतर्गत स्थापित घरेलू नल कनेक्शन ग्राम-कटवाझार विकासखण्ड भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा

# जिलेवार स्वीकृत रेट्रोफिटिंग एकल/सोलर/आधारित योजनाएँ

| स. क. | जिला | ग्रामों की संख्या | एकल | | | रेट्रोफिटिंग | | | सोलर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनाओं की संख्या | प्रशासकीय स्वीकृति लागत | एफ.एच.टी.सी. | योजनाओं की संख्या | प्रशासकीय स्वीकृति लागत | एफ.एच.टी.सी. | योजनाओं की संख्या | प्रशासकीय स्वीकृति लागत | एफ.एच.टी.सी. |
| 1 | बालोद | 690 | 409 | 53062.8 | 89448 | 203 | 23686.1 | 59933 | 87 | 2931.18 | 4776 |
| 2 | बलौदा–बाजार | 736 | 706 | 82829.4 | 153916 | 246 | 35804.02 | 106703 | 68 | 2654.93 | 3439 |
| 3 | बलरामपुर–रामानुजगंज | 635 | 1606 | 106119.5 | 146176 | 116 | 10471.76 | 21559 | 409 | 21243.57 | 24252 |
| 4 | बस्तर | 616 | 246 | 27588.5 | 50128 | 210 | 24429.23 | 66627 | 174 | 25629.68 | 36153 |
| 5 | बेमेतरा | 688 | 378 | 43629.2 | 84945 | 290 | 21650.26 | 62805 | 58 | 1605.04 | 5246 |
| 6 | बीजापुर | 565 | 41 | 2811.7 | 3822 | 38 | 1918 | 5261 | 495 | 40286.94 | 39574 |
| 7 | बिलासपुर | 668 | 496 | 40861.5 | 101149 | 243 | 25622.54 | 91642 | 170 | 6365.06 | 11896 |
| 8 | दंतेवाड़ा | 225 | 62 | 6245.7 | 9739 | 2 | 202.1 | 546 | 226 | 24954.42 | 42484 |
| 9 | धमतरी | 622 | 303 | 23440.7 | 38532 | 260 | 24518.12 | 76613 | 158 | 5579.81 | 6594 |
| 10 | दुर्ग | 385 | 156 | 18372.8 | 40807 | 219 | 22932.44 | 73507 | 12 | 562.02 | 639 |
| 11 | गरियाबंद | 666 | 446 | 33397. | 72001 | 183 | 19330.17 | 46413 | 244 | 7152.83 | 11496 |
| 12 | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 222 | 259 | 21015.9 | 50104 | 127 | 7135.21 | 22047 | 177 | 5059.22 | 10546 |
| 13 | जांजगीर–चांपा | 425 | 511 | 73624.0 | 154146 | 266 | 48873.89 | 120358 | 377 | 14554.92 | 24908 |
| 14 | जशपुर | 755 | 2727 | 112687.8 | 155185 | 112 | 5811.79 | 20666 | 495 | 17110.11 | 24142 |
| 15 | कबीरधाम | 959 | 548 | 62555.1 | 95454 | 240 | 22501.14 | 72244 | 195 | 8206.25 | 8779 |
| 16 | कांकेर | 1066 | 778 | 74398.9 | 86258 | 158 | 17723.21 | 40505 | 364 | 16300.56 | 17661 |
| 17 | खैरागढ़–छुईखदान–गंडई | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | कोंण्डागांव | 571 | 473 | 56282.0 | 79692 | 85 | 13029.74 | 33666 | 70 | 3378.44 | 5992 |
| 19 | कोरबा | 703 | 686 | 68932.9 | 132711 | 93 | 11464.18 | 46255 | 396 | 11523.66 | 18792 |
| 20 | कोरिया | 243 | 600 | 36668.1 | 72382 | 147 | 12827.16 | 33439 | 586 | 17979.45 | 23652 |
| 21 | महासमुंद | 1119 | 839 | 66548.3 | 146290 | 264 | 23380.7 | 72808 | 27 | 803.56 | 2103 |
| 22 | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | मोहला–मानपुर–अ.चौकी | 492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.48 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | मुंगेली | 673 | 468 | 46217.6 | 101321 | 125 | 15857.15 | 55351 | 107 | 3556.03 | 6710 |
| 25 | नारायणपुर | 378 | 17 | 535.53 | 264 | 23 | 1663.47 | 3444 | 382 | 27169.88 | 23336 |
| 26 | रायगढ़ | 919 | 939 | 72357.3 | 164827 | 472 | 39544.02 | 118572 | 440 | 18825.45 | 29730 |
| 27 | रायपुर | 477 | 221 | 30427.5 | 55101 | 249 | 33620.26 | 100215 | 56 | 2457.43 | 5212 |
| 28 | राजनांदगांव | 662 | 703 | 56463.9 | 112647 | 497 | 38777.86 | 90388 | 419 | 19626.74 | 26707 |
| 29 | सक्ती | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 706 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सरगुजा | 569 | 1440 | 86360.0 | 141558 | 114 | 9344.54 | 24197 | 528 | 15771.32 | 14125 |
| 32 | सुकमा | 391 | 88 | 8885.2 | 14192 | 50 | 5551.26 | 12182 | 300 | 21296.34 | 29829 |
| 33 | सूरजपुर | 543 | 383 | 43371.9 | 111729 | 120 | 13989.16 | 47266 | 470 | 19163.31 | 22791 |
| **कुलः–** | | **19656** | **16530** | **1355964.7** | **2464524** | **5153** | **531728.96** | **1525420** | **7490** | **361748.15** | **481564** |

## लक्षित कार्यों की पूर्ति हेतु जल जीवन मिशन अंतर्गत दिनांक 31.12.2024 तक 40,10,986 घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय किये गये हैं। जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

| कमांक | जिला | कुल ग्रामीण परिवार (01.04.2024 की स्थिति में) | लाभान्वित ग्रामीण परिवार (31.12.2024) की स्थिति में |
|---|---|---|---|
| 1 | बालोद | 176198 | 152259 |
| 2 | बलौदाबाजार–भाटापारा | 228930 | 181272 |
| 3 | बलरामपुर–रामानुजगंज | 197462 | 141697 |
| 4 | बस्तर | 172166 | 143492 |
| 5 | बेमेतरा | 177570 | 150477 |
| 6 | बीजापुर | 56366 | 32532 |
| 7 | बिलासपुर | 246462 | 180611 |
| 8 | दंतेवाड़ा | 50749 | 39494 |
| 9 | धमतरी | 154784 | 153140 |
| 10 | दुर्ग | 155657 | 137715 |
| 11 | गरियाबंद | 154632 | 133908 |
| 12 | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 84901 | 68078 |
| 13 | जांजगीर–चांपा | 207286 | 185214 |
| 14 | जशपुर | 214413 | 144153 |
| 15 | कबीरधाम | 199284 | 165591 |
| 16 | खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई | 74259 | 62611 |
| 17 | कोंण्डागांव | 126908 | 101819 |
| 18 | कोरबा | 207076 | 143680 |
| 19 | कोरिया | 51813 | 37767 |
| 20 | महासमुंद | 241005 | 197864 |
| 21 | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर | 83350 | 60370 |
| 22 | मोहला– मानपुर–अ.चौकी | 64593 | 46999 |
| 23 | मुंगेली | 168272 | 148560 |
| 24 | नारायणपुर | 33162 | 21911 |
| 25 | रायगढ़ | 242839 | 200303 |
| 26 | रायपुर | 190006 | 179240 |
| 27 | राजनांदगांव | 156789 | 139561 |
| 28 | सक्ती | 156619 | 134374 |
| 29 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 163143 | 123242 |
| 30 | सुकमा | 66128 | 46477 |
| 31 | सूरजपुर | 164515 | 114972 |
| 32 | सरगुजा | 186042 | 129615 |
| 33 | कांकेर | 151157 | 111988 |
| **योग–** | | **5004536** | **4010986** |

## जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत समूह जल प्रदाय योजनाओं का जिलेवार विवरण

स्थिति दिनांक 31.12.2024

| क्र. | जिला | योजना का नाम | प्रस्तावित ग्रामों की संख्या | एफ.एच.टी.सी. की संख्या | योजना की लागत (लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बलौदाबाजार–भाटापारा | गिरौदपुरी | 23 | 17697 | 5649.25 |
| 2. | | खर्वे | 8 | 1654 | 629.81 |
| 3. | | बिटकुली–रामपुर | 41 | 11798 | 6155.19 |
| 4. | | आगमधाम (खड़वा) | 50 | 16618 | 7551.21 |
| 5. | | अहिल्दा पण्डरिया | 44 | 20367 | 8485.00 |
| 6. | गरियाबंद | सुपेबेड़ा | 9 | 2074 | 1034.32 |
| 7. | धमतरी | सांकरा | 40 | 18631 | 3145.05 |
| 8. | | घटुला | 36 | 10827 | 3245.26 |
| 9. | महासमुंद | समोदा–अछोला | 48 | 12395 | 6658.00 |
| 10. | दुर्ग | चंदखुरी–कोलिहापुरी–पिसेगांव | 31 | 19210 | 4507.37 |
| 11. | | ओदरागहन–सुरपा | 19 | 5486 | 2119.25 |
| 12. | | जेवरा–सिरसाखुर्द–भटगांव | 17 | 11753 | 2580.95 |
| 13. | | निकुम | 13 | 7443 | 2629.90 |
| 14. | | कौही | 14 | 6053 | 2004.23 |
| 15. | | अंजोरा ढ़ाबा | 50 | 13785 | 5965.69 |
| 16. | | मोतिमपुर | 57 | 12555 | 6445.89 |
| 17. | बालोद | कनेरी | 28 | 9027 | 4221.00 |
| 18. | | हीरापुर | 57 | 20069 | 7769.00 |
| 19. | | जुंगेरा | 32 | 8780 | 5041.00 |
| 20. | | डौण्डीलोहारा | 31 | 11680 | 5500.00 |
| 21. | मोहला–मानपुर–अ.चौकी | मोंगरा | 330 | 70121 | 39647.41 |
| 22. | खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई | बुढ़ानभाट | 31 | 7300 | 2877.85 |
| 23. | राजनांदगांव | एल.बी. नगर | 20 | 6218 | 2135.50 |
| 24. | | माथलडबरी | 12 | 4115 | 1461.54 |
| 25. | कबीरधाम | रेंगाखार | 15 | 3556 | 1721.00 |
| 26. | | धमकी बम्हनी | 16 | 4235 | 1930.14 |
| 27. | बेमेतरा | कुम्हीगुड़ा | 85 | 18805 | 11054.56 |
| 28. | | अमलडीहा | 72 | 19448 | 10607.93 |
| 29. | | खम्हरिया | 62 | 14356 | 7046.81 |

| क्र. | जिला | योजना का नाम | प्रस्तावित ग्रामों की संख्या | एफ.एच.टी.सी. की संख्या | योजना की लागत (लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. | बिलासपुर | मंगला पासिद | 23 | 6639 | 3442.00 |
| 31. | | हरदी–भटचौरा | 21 | 7626 | 3823.17 |
| 32. | | चपोरा | 18 | 5749 | 3042.50 |
| 33. | | भैसाझार–मोहनभाठा –खम्हरिया | 31 | 14067 | 7327.56 |
| 34. | मुंगेली | मदकू | 34 | 8433 | 4351.54 |
| 35. | | खुड़िया | 206 | 59612 | 29011.99 |
| 36. | जांजगीर–चांपा | केरा | 19 | 12407 | 5944.00 |
| 37. | | पामगढ़ | 13 | 10567 | 4223.00 |
| 38. | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | भद्रा–रीवापार | 84 | 27570 | 10159.32 |
| 39. | | घोठला–छोटे हरदी | 69 | 18637 | 6875.24 |
| 40. | | बरगांव–कंचनपुर | 102 | 26169 | 9834.32 |
| 41. | रायगढ़ | भेलवा टिकरा–सम्बलपुरी | 29 | 6924 | 3665.00 |
| 42. | | कलमा–कोड़ातराई | 58 | 15202 | 5804.00 |
| 43. | | तमनार | 54 | 18134 | 9127.81 |
| 44. | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | बसंतपुर–जटादेवरी | 16 | 5457 | 2347.07 |
| 45. | कोरबा | एतमा नगर | 245 | 72619 | 43196.88 |
| 46. | सूरजपुर | बिहारपुर | 19 | 7961 | 2835.40 |
| 47. | | खर्रा–इन्दरपुर | 19 | 4326 | 2044.47 |
| 48. | | गांगीकोट–केनापारा | 25 | 7248 | 3113.99 |
| 49. | | हर्राटिकरा–2 | 8 | 2652 | 1416.87 |
| 50. | | रूनियाडीह | 26 | 10199 | 3755.40 |
| 51. | | दुग्गा–बतरा | 16 | 6355 | 2784.34 |
| 52. | | झिलमिली | 55 | 22007 | 6616.19 |
| 53. | | बड़वार | 21 | 5556 | 2642.77 |
| 54. | | बगड़ा–केरता | 28 | 8866 | 4539.93 |
| 55. | | सारासौर | 52 | 17189 | 7181.07 |
| 56. | | रामानुजनगर–प्रेमनगर–नवगई (बांगो) | 144 | 55314 | 27947.44 |
| 57. | कोरिया | कटघोड़ी | 35 | 6539 | 2935.85 |
| 58. | | बरदर | 27 | 7484 | 4054.18 |
| 59. | | नरकेली | 24 | 4748 | 2472.79 |
| 60. | | तामडांड | 30 | 9299 | 4760.37 |
| 61. | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी –भरतपुर | लाई | 20 | 4288 | 2043.42 |
| 62. | | खरलाधार | 30 | 4042 | 1642.49 |
| 63. | | चैनपुर | 25 | 6271 | 2783.71 |
| 64. | | बरदिया | 43 | 13034 | 4695.52 |
| 65. | | उधनापुर | 29 | 8138 | 2783.68 |
| 66. | | घुटरा | 29 | 4517 | 2329.34 |
| 68. | सरगुजा | दरिमा– करजी | 45 | 16081 | 6151.24 |
| 68. | | खैरबार | 32 | 13144 | 6125.80 |
| 69. | | पोड़ीखुर्द–सलका | 80 | 27575 | 10636.02 |
| 70. | | देवीटिकरा | 33 | 10684 | 5494.76 |
| **योग–** | | | **3212** | **985391** | **304671.74** |

## जल जीवन मिशन के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

### भौतिक प्रगति :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 31 मार्च 2021 की स्थिति में उपलब्ध कनेक्शन | 5,66,473 |
| 2. | वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपलब्ध कराये गये कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन | 4,45,107 |
| 3. | वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध कराये गये कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन | 10,80,547 |
| 4. | वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध कराये गये कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन | 18,04,920 |
| 5. | वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध कराये गये कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन (31.12.2024) | 1,07,274 |
| 6. | अद्यतन में उपलब्ध कराये गये कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन (31.12.2024) | 40,10,986 |

### हर घर जल प्रमाणित ग्रामों की जिलेवार जानकारी:-

| कमांक | जिला | कुल ग्रामों की संख्या | हर घर जल ग्रामों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | | | घोषित | प्रमाणित |
| 1 | बालोद | 690 | 190 | 122 |
| 2 | बलौदा– बाजार | 736 | 173 | 158 |
| 3 | बलरामपुर–रामानुजगंज | 635 | 36 | 31 |
| 4 | बस्तर | 616 | 86 | 51 |
| 5 | बेमेतरा | 688 | 212 | 148 |
| 6 | बीजापुर | 565 | 72 | 59 |
| 7 | बिलासपुर | 668 | 62 | 41 |
| 8 | दंतेवाड़ा | 225 | 46 | 23 |
| 9 | धमतरी | 622 | 578 | 302 |
| 10 | दुर्ग | 385 | 125 | 84 |
| 11 | गरियाबंद | 666 | 168 | 148 |
| 12 | गौरेला– पेण्ड्रा– मरवाही | 222 | 37 | 33 |
| 13 | जांजगीर–चांपा | 425 | 130 | 102 |
| 14 | जशपुर | 755 | 39 | 31 |
| 15 | कबीरधाम | 959 | 188 | 141 |
| 16 | खैरागढ़– छुईखदान–गंडई | 439 | 125 | 81 |
| 17 | कोंण्डागांव | 571 | 88 | 61 |
| 18 | कोरबा | 703 | 88 | 60 |
| 19 | कोरिया | 243 | 23 | 22 |
| 20 | महासमुंद | 1119 | 201 | 116 |
| 21 | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर | 392 | 16 | 13 |
| 22 | मोहला–मानपुर–अ.चौकी | 492 | 97 | 75 |
| 23 | मुंगेली | 673 | 154 | 110 |
| 24 | नारायणपुर | 378 | 55 | 46 |
| 25 | रायगढ़ | 919 | 202 | 118 |
| 26 | रायपुर | 477 | 387 | 188 |
| 27 | राजनांदगांव | 662 | 149 | 90 |
| 28 | सक्ती | 456 | 129 | 100 |
| 29 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 706 | 165 | 113 |
| 30 | सुकमा | 391 | 49 | 40 |
| 31 | सूरजपुर | 543 | 37 | 28 |
| 32 | सरगुजा | 569 | 55 | 45 |
| 33 | कांकेर | 1066 | 151 | 77 |
| **योग–** | | **19656** | **4313** | **2875** |

## सोलर आधारित जलप्रदाय योजना-

राज्य की ग्रामीण बसाहटें जो वनांचल/पहाड़ी बसाहटें/विरल हैं जहां नल जल योजना के कियान्वयन में लागत अधिक आती है वहां सोलर आधारित जलप्रदाय योजना का कियान्वयन जलजीवन मिशन अंतर्गत किया जा रहा है। सोलर आधारित जलप्रदाय योजना में सोलर पंप स्थापना हेतु कियान्वयन एजेन्सी राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) है। सोलर आधारित जलप्रदाय योजना अंतर्गत दिसम्बर 2024 की स्थिति में 7,489 सोलर पंप स्थापित कर कुल 4,09,845 ग्रामीण परिवार, कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से लाभान्वित किये गये।

## जलगुणवत्ता अनुश्रवण :

पेयजल गुणवत्ता की अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए उपखंड स्तर तक प्रयोगशाला की स्थापना करने के साथ चलित प्रयोगशाला की भी व्यवस्था की गई है। इसी की निरंतरता में प्रदेश के जिलों के समस्त पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच बी.आई.एस. मानक अनुसार 13 पैरामीटर पर करते हुए जी.पी.एस. डाटा कलेक्शन, सेनेटरी सर्वे सहित प्रत्येक स्रोत की डिजिटल जी.आई.एस. मैपिंग के कार्य प्रगतिरत् है।

राज्य में एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त एक राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में कार्यरत है। जहॉ जल नमूनों में मौजूद हैवी मेटल के 25 तत्वों (टोटल आर्सोनिक, बेरियम, बोरान, कापर, सिल्वर, जिंक, कैडियम, लेड, पारा, निकल, क्रोमियम, आयरन, मैगनीज एवं यूरेनियम सहित अन्य) तथा अन्य तत्व जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेड, मैग्नीशियम, सल्फेड, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम एवं टी.डी.एस. आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है साथ ही जीवाणु परीक्षण (माइक्रोबायोलजिकल टेस्ट) के अंतर्गत टोटल कोलीफार्म एवं ई–कोलाई के भी जॉच किये जाते हैं।

राज्य में 28 जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जिसमें से अद्यतन में कुल 28 जिला जल परीक्षण प्रयोग शालाएं एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त है।

राज्य में 24 उपखण्ड स्तरीय जलपरीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत हैं जिसमें से 18 उपखण्ड स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला एन.ए.बी.एल. से संबध्धता (रिकनाईज्ड) प्राप्त कर ली गयी है।

उपखण्ड स्तरीय जलपरीक्षण प्रयोगशाला उपखण्ड डभरा जिला सक्ती

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु पंचायतों में जलगुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्टकिट उपलब्ध कराकर प्रत्येक ग्राम की 5–5 महिलाओं को इस प्रकार कुल 1,06,234 (जल बहिनी) को प्रशिक्षण प्रदाय किया जाकर पेयजल परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

ग्राम परचनपाल जिला बस्तर की जल बहिनियों द्वारा फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल परीक्षण

### जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केन्द्र:

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल परीक्षण अनुश्रवण हेतु परीक्षण कार्य में लगे मानव संसाधनों की कार्य कुशलता में वृद्वि एवं प्रयोगशाला के संसाधनों को गुणवत्ता युक्त रखने हेतु राज्य स्तर पर संसाधन केन्द्र कार्यरत् हैं।

### जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वयन सहयोगी संस्थाओं (आई एस ए) की गतिविधियाँ :

जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वयन सहयोगी संस्थाओं (आई एस ए) के रूप में राज्य के विभिन्न जिलों में 97 संस्थाओं के कुल 307 टीम को जल जीवन मिशन से सम्बंधित कार्यों के क्रियान्वयन में लगाया गया है। इन सहयोगी संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पी.एम.आई. प्रशिक्षण एवं आई.ई.सी. गतिविधियाँ, व्ही.डब्ल्यू.एस.सी. की बैठकों का आयोजन तथा समुदायों के बीच जन जागरूकता अभियान एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन में समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है।

### जल जीवन मिशन के अंतर्गत तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था (टी.पी.आई.ए.) :

जल जीवन मिशन के अंतर्गत तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था (टी.पी.आई.ए.), राज्य स्तर पर 19 संस्थाएं एवं जिला स्तर पर 28 जिलों में 19 संस्थाओं के कुल 85 टीम, को जल जीवन मिशन के अंतर्गत सम्बंधित कार्यों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाया गया है।

### सोशल मीडिया प्रचार-प्रसार :

जल जीवन मिशन अंतर्गत बीते एक वर्ष में आई.ई.सी. के तहत कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन जिला एवं ग्राम–पंचायत स्तर पर सामुदायिक सहभागिता के साथ किया गया है। जो निम्नलिखित हैं :

- जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा प्रत्येक माह को जिलों के वैसे ग्राम जो शत–प्रतिशत एफ.एस.टी.सी. से आच्छादित हो चुके हैं, उन सभी ग्रामों को संबंधित ग्राम–पंचायत द्वारा स्पेशल ग्राम–सभा / जल उत्सव आयोजित कर "हर घर जल ग्राम" प्रमाणित किया जा रहा है।

शत-प्रतिशत एफ.एच.टी.सी. से आच्छादित हो चुके पंचायतों में जल उत्सव का आयोजित

- जल सभा का आयोजनः जल जीवन मिशन, जल गुणवत्ता, जल परीक्षण तथा स्वास्थ्य पर इसके होने वाले प्रभाव और जल संरक्षण के मुद्दों के साथ–साथ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम स्तर पर निर्मित बुनियादी ढांचे के रख–रखाव में समुदायों की भूमिका और जल उपयोग हेतु शुल्क वहन आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु ग्राम–पंचायत स्तर पर ''जल सभा'' आयोजित कराया जाता है।
- 11 दिसम्बर से 11 जनवरी, 2024 तक ''स्वैच्छिक दीवार लेखन एवं चित्रकारी'' अभियान का ग्राम–पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन किया गया।
- 16 दिसम्बर से 26 जनवरी, 2024 तक ग्राम–पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर ''हर घर जल रिपोर्टेड'' ग्राम–पंचायतों को अभिनन्दन पत्र का वितरण किया गया। अभियान के दौरान 33 जिलों के द्वारा कुल 428 अभिनन्दन पत्र का वितरण किया गया।
- 22 मार्च, 2024 को जल जीवन मिशन अंतर्गत राज्य के सभी जिलों एवं ग्राम–पंचायत स्तर पर विश्व जल दिवस मनाया गया, जहाँ सामुदायिक सहभागिता से ग्राम के पेयजल स्रोतों की साफ–सफाई कराई गई, स्थानीय लोगों को पानी के विवेक पूर्ण एवं सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक किया गया।

- जिलों के ग्राम–पंचायतों में जल संरक्षण अभियान ''करें जल संरक्षण और बने जल प्रेरक'' का क्रियान्वयन स्थानीय लोगों के सहभागिता से है, जहाँ ग्राम के पेयजल स्रोत के संरक्षण एवं संवर्धन सहित वर्षा जल के संचयन तथा भू–जल पुनर्भरण जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों एवं निकायों/संस्था को पंचायत स्तर पर जोड़ते हुये सम्पूर्ण जल प्रबंध एवं संवर्धन से संबंधित प्रचार–प्रसार कार्य किये जा रहे हैं।

**सम्पूर्ण जल प्रबंध एवं संवर्धन में महिलाओं की भागीदारी एवं प्रचार-प्रसार काय**

- ग्राम–पंचायतों में जल संरक्षण, गन्दले–पानी का उचित प्रबंधन तथा वर्षा जल संचयन इत्यादि गतिविधियों/कार्यों के बारे में स्थानीय लोगों/जन–समुदायों को 'जल चौपाल' का आयोजन कर जागरूक किया गया।
- 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2024 तक ''स्टॉप डायरिया अभियान'' का क्रियान्वयन जिलों द्वारा ग्राम–पंचायत स्तर पर किया गया, जहाँ VWSCs एवं जल बहिनी के सहयोग से कुल 26756 FTK टेस्ट ग्राम स्तर पर किये गए तथा कुल 9349 विद्यालयों/शालाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध पेयजल की गुणवत्ता जाँच की गई।

- दिनांक 6 से 20 नवंबर, 2024 तक 15 दिवसीय ''जल उत्सव अभियान'' का क्रियान्वयन कबीरधाम जिला के विकास–खण्ड स्तर पर किया गया इस अभियान के दौरान ग्राम–पंचायत स्तर पर स्थानीय लोगों को जल प्रबंधन, संरक्षण, गुणवत्ता और पेयजल आपूर्ति की स्थिरता को लंबे अवधि तक बनाये रखने तथा निरंतर इसके संचालन व संधारण आदि के महत्व को प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूक किया गया।
- जिले एवं ग्राम–पंचायत स्तर पर आगनबाड़ी केन्द्रों व शालाओं में जल जागरूकता रैली का आयोजन कर जल संरक्षण के बारे में महिलाओं एवं स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया।

आगनबाड़ी केन्द्रों व शालाओं में जल जागरूकता रैली का आयोजन

## वित्तीय प्रगति :-

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 उपलब्ध राशि एवं व्यय (राशि रू. करोड़ में)

| स. क. | अवयव | प्रारंभिक अवशेष (दिनांक 01.04.2023 की स्थिति) | प्रावधानित राशि | प्राप्त राशि | कुल उपलब्ध राशि | कुल व्यय (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में आई.एम. आई.एस.रिपोर्ट के आधार पर) | प्रतिशत व्यय | शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | केन्द्रांश | 273.99 | 0.0007 (टोकन प्रावधान) | 2885.56 | 3159.55 | 2638.91 | 83.52% | 520.64 |
| 2 | राज्यांश | 240.74 | 4330.00 | 2825.23 | 3065.97 | 2627.12 | 85.69% | 438.85 |
| **कुल** | | **514.73** | **4330.00** | **5710.79** | **6225.52** | **5266.03** | **84.59%** | **959.49** |

जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024–25 के लिये उपलब्ध राशि एवं व्यय (दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक) की जानकारी निम्नानुसार है :–

दिनांक 31.12.2024 की स्थिति में (राशि रू. करोड़ में)

| स.क. | अवयव | प्रारंभिक अवशेष (दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में) | प्रावधानित राशि | प्राप्त राशि | कुल उपलब्ध राशि | कुल अद्यतन व्यय (दिनांक 31.12.2024 की स्थिति में ई–वर्क्स रिपोर्ट के आधार पर) | प्रतिशत व्यय | शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | केन्द्रांश | 520.64 | 0.0007 (टोकन प्रावधान) | 191.59 | 712.23 | 558.50 | 78.42% | 153.73 |
| 2 | राज्यांश | 438.85 | 4499.99 | 1437.12 | 1875.97 | 1777.61 | 94.76% | 98.36 |
| **कुल** | | **959.49** | **4500.00** | **1628.71** | **2588.20** | **2336.11** | **90.26%** | **252.09** |

# भाग - चार

## सामान्य प्रशासनिक विषय

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का एक जन कल्याणकारी, तकनीकी कार्यविभाग है। पेयजल के क्षेत्र में जहां विभाग की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, वहीं ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में विभाग से सलाहकार, समन्वयक एवं प्रोत्साहक की भूमिका अपेक्षित है। विभाग की गतिविधियों का सीधा संबंध जन सामान्य से है एवं बदली हुई परिस्थितियों में शासकीय योजनाओं की परिकल्पना, आयोजना के साथ ही उनके संचालन एवं संधारण व्यवस्था में जन सामान्य की आवश्यकता, मान्यता एवं उनके सुझावों सहित भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए जहां जन सामान्य को सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित एवं जागरूक करते हुए इस महती भूमिका के निर्वहन के लिए सक्षम बनाया जाना है वहीं तकनीकी अमला जो योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन, क्रियान्वयन एवं संचालन–संधारण से संबद्ध है, उन्हें भी समसामयिक कर्तव्यों के लिए तकनीकी विषयों के प्रशिक्षण के साथ ही साथ सूचना, शिक्षा, संचार एवं जनसहभागिता के लिए आवश्यक विषयों के ज्ञान एवं नये–नये विषयों से अवगत कराया जाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सभी स्तर के अमले के साथ ही अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे हितग्राहियों, पंचायती राज संस्थाओं, एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिसरण के लिए अन्य विभागों के मैदानी स्तर के शासकीय अमले को प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

मानव जीवन हेतु आधारभूत नितांत आवश्यक जल की आपूर्ति शासकीय परिसंपत्ति के रख–रखाव, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के साथ निस्तारी पानी का समय में पूर्ति हेतु तथा हैण्डपंप संचालन–संधारण हेतु सुदृढ़ व्यवस्था निर्मितीकरण को दृष्टिगत रखते हुए, विभाग में वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 177 हैण्डपंप तकनीशियन की भर्ती की गई है।

## विभागीय संरचना में स्वीकृत पदों का विवरण:-

### राजपत्रित प्रथम श्रेणी संवर्ग :

| क्र. | पदनाम | श्रेणी | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रमुख अभियंता | प्रथम श्रेणी | 1 | 1 | - |
| 2 | मुख्य अभियंता (सिविल) | प्रथम श्रेणी | 4 | 3 | 1 |
| 3 | मुख्य अभियंता (वि/यां) | प्रथम श्रेणी | 1 | - | 1 |
| 4 | अधीक्षण अभियंता (सिविल) | प्रथम श्रेणी | 12 | 8 | 4 |
| 5 | अधीक्षण अभियंता (वि/यां) | प्रथम श्रेणी | 1 | 1 | - |
| 6 | संयुक्त संचालक(वित्त)(प्रतिनियुक्ति) | प्रथम श्रेणी | 1 | 1 | - |
| 7 | कार्यपालन अभियंता (सिविल) | प्रथम श्रेणी | 42 | 36 | 6 |
| 8 | कार्यपालन अभियंता (वि/यां) | प्रथम श्रेणी | 6 | 5 | 1 |
| 9 | कार्यपालन अभियंता (एमआईएस) | प्रथम श्रेणी | 1 | 1 | - |
| **राजपत्रित द्वितीय श्रेणी संवर्ग :** | | | | | |
| 1 | हाइड्रोजियोलाजिस्ट (प्रतिनियुक्ति) | द्वितीय श्रेणी | 4 | - | 4 |
| 2 | सहायक भू–जलविद | द्वितीय श्रेणी | 1 | - | 1 |
| 3 | सहायक अभियंता (सिविल) | द्वितीय श्रेणी | 131 | 109 | 22 |
| 4 | सहायक अभियंता (वि/यां) | द्वितीय श्रेणी | 33 | 25 | 8 |
| 5 | सहायक अभियंता (एमआईएस) | द्वितीय श्रेणी | 1 | - | 1 |
| 6 | लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति) | द्वितीय श्रेणी | 4 | 3 | 1 |
| 7 | मुख्य रसायनज्ञ | द्वितीय श्रेणी | 1 | 1 | - |
| 8 | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | द्वितीय श्रेणी | 1 | 1 | - |
| **राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी :** | | | | | |
| 1 | वरि.तक.सहा. (जियोलाजिस्ट) | तृतीय श्रेणी | 2 | - | 2 |
| 2 | रिंग आपरेटर | तृतीय श्रेणी | 5 | - | 5 |
| 3 | सहायक रिंग आपरेटर | तृतीय श्रेणी | 5 | 1 | 4 |
| 4 | ड्रिलर | तृतीय श्रेणी | 10 | 1 | 9 |
| 5 | फोरमेन | तृतीय श्रेणी | 1 | - | 1 |
| 6 | उप अभियंता (सिविल) | तृतीय श्रेणी | 412 | 114 | 298 |

| क्र. | पदनाम | श्रेणी | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | उप अभियंता (वि/यां) | तृतीय श्रेणी | 130 | 65 | 65 |
| 8 | मुख्य मानचित्रकार | तृतीय श्रेणी | 1 | - | 1 |
| 9 | मानचित्रकार | तृतीय श्रेणी | 49 | 12 | 37 |
| 10 | सहायक मानचित्रकार | तृतीय श्रेणी | 53 | 19 | 34 |
| 11 | अनुरेखक | तृतीय श्रेणी | 108 | 22 | 86 |
| 12 | कनिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति) | तृतीय श्रेणी | 1 | - | 1 |
| 13 | सहा.कम्प्यूटर प्रोग्रामर | तृतीय श्रेणी | 3 | - | 3 |
| 14 | मुख्यालय अधीक्षक | तृतीय श्रेणी | 1 | - | 1 |
| 15 | अधीक्षक | तृतीय श्रेणी | 10 | 4 | 6 |
| 16 | सहायक ग्रेड–1 | तृतीय श्रेणी | 17 | 7 | 10 |
| 17 | लेखापाल | तृतीय श्रेणी | 4 | - | 4 |
| 18 | सहायक ग्रेड–2 | तृतीय श्रेणी | 15 | 15 | - |
| 19 | सहायक ग्रेड–3 | तृतीय श्रेणी | 30 | 6 | 24 |
| 20 | वरिष्ठ निज सहायक | तृतीय श्रेणी | 1 | - | 1 |
| 21 | निज सहायक | तृतीय श्रेणी | 4 | 4 | - |
| 22 | शीघ्रलेखक | तृतीय श्रेणी | 13 | 8 | 5 |
| 23 | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | तृतीय श्रेणी | 47 | 9 | 38 |
| 24 | स्टेनो टायपिस्ट | तृतीय श्रेणी | 43 | 5 | 38 |
| 25 | सहायक केमिस्ट | तृतीय श्रेणी | 1 | - | 1 |
| 26 | वाहन चालक (वरिष्ठ) | तृतीय श्रेणी | 13 | 6 | 7 |
| 27 | केमिस्ट | तृतीय श्रेणी | 34 | 20 | 14 |
| राज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी : | | | | | |
| 1 | सुपरवाईजर | चतुर्थ श्रेणी | 1 | - | 1 |
| 2 | दफ्तरी (राज्य स्तरीय) | चतुर्थ श्रेणी | 4 | 3 | 1 |
| 3 | भृत्य (राज्य स्तरीय) | चतुर्थ श्रेणी | 28 | 7 | 21 |
| 4 | चौकीदार | चतुर्थ श्रेणी | 1 | - | 1 |

| क्र. | पदनाम | श्रेणी | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|---|
| अराज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी : | | | | | |
| 1 | संभागीय लेखापाल (प्रतिनियुक्ति) | तृतीय श्रेणी | 42 | 29 | 13 |
| 2 | सहायक ग्रेड–2 | तृतीय श्रेणी | 207 | 142 | 65 |
| 3 | सहायक ग्रेड–3 | तृतीय श्रेणी | 287 | 154 | 133 |
| 4 | वाहन चालक (वरिष्ठ) | तृतीय श्रेणी | 95 | 26 | 69 |
| 5 | प्रयोगशाला सहायक | तृतीय श्रेणी | 35 | 19 | 16 |
| 6 | हैण्ड पंप तकनीशियन | तृतीय श्रेणी | 876 | 453 | 423 |
| 7 | एयर कम्प्रेशर चालक | तृतीय श्रेणी | 3 | - | 3 |
| 8 | ट्रक चालक | तृतीय श्रेणी | 28 | 9 | 19 |
| 9 | फिटर | तृतीय श्रेणी | 2 | - | 2 |
| 10 | शिफ्ट ड्रायवर | तृतीय श्रेणी | 1 | 1 | - |
| 11 | मेकेनिक | तृतीय श्रेणी | 13 | 5 | 8 |
| 12 | टर्नर | तृतीय श्रेणी | 2 | - | 2 |
| 13 | वेल्डर | तृतीय श्रेणी | 1 | - | 1 |
| 14 | इलेक्ट्रीशियन | तृतीय श्रेणी | 1 | - | 1 |
| 15 | चालक सह सहायक | तृतीय श्रेणी | 18 | 1 | 17 |
| अराज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी : | | | | | |
| 1 | दफ्तरी | चतुर्थ श्रेणी | 29 | 8 | 21 |
| 2 | भृत्य | चतुर्थ श्रेणी | 271 | 168 | 103 |
| 3 | हेल्पर | चतुर्थ श्रेणी | 16 | 16 | - |
| 4 | लाईनमेन | चतुर्थ श्रेणी | 2 | - | 2 |
| 5 | क्लीनर | चतुर्थ श्रेणी | 13 | 3 | 10 |
| 6 | चौकीदार | चतुर्थ श्रेणी | 108 | 81 | 27 |
| | | **योग** | **3342** | **1638** | **1704** |

**टीप– उपरोक्त के अतिरिक्त अराज्य स्तरीय, हेल्पर–331, चौकीदार–420, लाईनमेन–13 एवं क्लीनर के 3 सांख्येत्तर पद स्वीकृत है।**

विभागीय कर्मचारियों/ अधिकारियों एवं अन्य स्टेक होल्डरों को प्रशिक्षण के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के तहत विभिन्न विषयों में 55 प्रशिक्षुओं को एक वर्ष का प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया गया है।

वर्ष 2024 के दौरान जिन मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभागीय अमले की भागीदारी रही है वह निम्नानुसार हैं:–

| कं. | प्रशिक्षण का विषय | प्रशिक्षण अवधि | प्रशिक्षण स्थान | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत विभिन्न ट्रेडों (सिविल इंजी, कम्प्युटर इजी, आई टी. इंजी., मेके. इंजी., डिग्री/ डिप्लोमा एवं माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा) में प्रशिक्षण | 01.01.2024 से 31.12.2024 | विभाग के विभिन्न कार्यालयों में | 55 |
| | | | **कुल** | **55** |

# भाग - पांच

## संचालन एवं संधारण नीति निर्धारण का प्रकाशन

जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्मित नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण पंचायत द्वारा किये जाने हेतु, ओ एण्ड एम (संचालन एवं संधारण) नीति दिनांक 06.12.2024 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित ।

# भाग - छः

## अभिनव योजना

### मोबाइल बेस्ड कार्य मॉनिटरिंग सिस्टम (जल जीवन मिशन फील्ड मॉनिटरिंग एप)

जल क्रिया पोर्टल योजनाओं के विभिन्न चरणों में निर्माण गतिविधियों और सामग्रियों की निगरानी के लिए जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यान्वित एक फील्ड मॉनिटरिंग ऐप है। जल क्रिया पोर्टल घटना की फोटो, जीपीएस स्थान और तारीख–समय को कैप्चर करता है। जल क्रिया एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर क्षेत्र के उपयोगकर्ता और विभाग के अधिकारियों के लिए उपलब्ध है।

1. जल जीवन मिशन के तहत कांट्रेक्टर द्वारा किये जा रहे कार्यों की जीपीएस टेगिंग फोटोग्राफी के साथ साथ भौतिक प्रगति प्राप्त करने हेतु यह एप डेवलप्ड किया गया है।
2. कांट्रेक्टर द्वारा किये जा रहे कार्यों के साथ साथ विभागीय अधिकारियों के द्वारा फील्ड विजिट से सम्बंधित समस्त जानकारी तथा जिओ टेगिंग फोटोग्राफी प्राप्त किया जाता हैं।
3. कांट्रेक्टर द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं भौतिक प्रगति को भुगतान प्रक्रिया के साथ समावेशन किया जाता है।
4. इंटरनेट की माध्यम से फोटोग्राफ तथा प्राप्त समस्त जानकारी को कही भी कभी भी जल जीवन मिशन की ऑनलाइन डैशबोर्ड में लॉग इन कर देखा जा सकता है।

### फील्ड मॉनिटरिंग एप की उपयोगिताः-

1. जल जीवन मिशन के तहत कांट्रेक्टर द्वारा किये जा रहे कार्यों की स्थल की सही जानकारी इस एप के माध्यम से उपलब्ध होती है।
2. योजना से सम्बंधित समस्त कार्यों की भौतिक जानकारी सिंगल क्लिक पर उपलब्ध है।
3. योजना से सम्बंधित हितग्राहियों की पहचान का इस एप के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है।
4. कार्य प्रारम्भ दिनांक एवं समाप्ति दिनांक सरलता से इस एप के माध्यम से उपलब्ध होती है।
5. इस एप से कार्य स्थल की लोकेशन गूगल मेप में उपलब्ध होती है।
6. विभागीय अधिकारियों के द्वारा फील्ड विजिट से सम्बंधित जानकारी सरलता से प्राप्त होती है।

# भाग - सात

## सारांश

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नोडल विभाग है। जन सामान्य के लिए शुद्ध पेयजल की निरंतरता एवं पर्याप्त उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध पेयजल की निरंतर एवं पर्याप्त उपलब्धता के लिए पेयजल की गुणवत्ता के साथ–साथ भू–जल संवर्धन के कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिसके लिए यथोचित प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नल जल योजनाओं के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन एवं हैंडपंप के माध्यम से की जा रही हैं, वहीं शहरीय क्षेत्रों के लिए उनकी मांग अनुसार जलप्रदाय योजनाओं का अभिकल्पन, रूपांकन एवं कियान्वयन भी किया जाता है।

### 7.1 ग्रामीण पेयजल व्यवस्था :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन एवं राज्य मद की योजनाओं से निरंतर एवं गुणवत्तायुक्त, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। ग्रामीणजनों को सुरक्षित एवं 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (पेयजल के लिए 3, खाना बनाने के लिए 5, नहाने के लिए 15, घर एवं बर्तनों की सफाई के लिए 10, शौचालय के लिए 10, कपड़े धोने एवं अन्य कार्य के लिए 12 लीटर) पेयजल उनके घरों में ही कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की दिशा में विभाग द्वारा जहां नलजल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी–छोटी बसाहटों में भी सोलर पंप आधारित जलप्रदाय योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से भी घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्मित उच्चस्तरीय जलागार
ग्राम गुलबापारा, विकासखण्ड केशकाल जिला कोण्डागांव

भू–जल स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सतही स्रोत पर आधारित समूह जलप्रदाय योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं। पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में विभिन्न तकनीकों पर आधारित शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना एवं वैकल्पिक व्यवस्था कर, शुद्ध पेयजल प्रदाय के प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों एवं पेयजल योजनाओं की निरंतरता बनाये रखने, संचालन–संधारण, नई योजनाओं के कियान्वयन तथा पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण में समुदाय की भागीदारी है।

पेयजल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं उस पर निगरानी के लिए लगातार पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए उपखंड स्तर तक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। प्रदेश के समस्त पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच बी.आई.एस. मानक अनुसार 13 पैरामीटर पर किया जा रहा है।

### 7.2 जल जीवन मिशन के अंतर्गत सोलर आधारित नलजल योजना -

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में "हर घर नल से जल" के तहत् प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को कार्यरत् घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दूरस्थ/ वनांचल/ बिजली की समस्या से ग्रसित क्षेत्रों में सोलर ड्यूअल पंप के माध्यम से नलजल योजना का कियान्वयन किया जा रहा है।

सौर ऊर्जा पर आधारित जलप्रदाय योजना,
ग्राम बिश्रामपुरी, विकासखण्ड कोरबा, जिला कोरबा

### 7.3 नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था:

विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिए उनकी मांग के अनुसार जल प्रदाय योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन एवं कियान्वयन किया जाता है। छ0ग0 राज्य गठन के पश्चात् प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। नगरीय क्षेत्रों में पूर्व से कियान्वित पेयजल योजनाओं का वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप आवर्धित करने के साथ ही नवीन नगरीय निकायों में ग्रामीण मापदण्ड आधारित कियान्वित जलप्रदाय योजनाओं के स्थान पर नगरीय मापदण्ड आधारित योजनाएं कियान्वित की जा रही है।

## 7.4 विविध :

विभाग का मुख्य दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था है, जो मुख्यतः भू–गर्भीय स्रोतों पर आधारित है। भू–गर्भीय जल स्रोतों के अधिकाधिक उपयोग से जहां एक ओर भू–गर्भीय जल की उपलब्धता कम हुई है, वहीं उपलब्ध भू–गर्भीय जल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। विभाग द्वारा सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत भूजल संवर्धन कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत पर आधारित समूह ग्राम जलप्रदाय योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं। पेयजल गुणवत्ता की समस्या के हल हेतु आयरन, फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट की स्थापना प्राथमिकता से कर, विभाग आधुनिक तकनीकी के उपयोग से अपने आपको समसामयिक बनाये रखने के लिये निरंतर प्रयासरत् है। इस दिशा में उपखंड स्तर तक कम्प्यूटरीकरण किया गया है तथा ऑन लाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर का उपयोग, प्रस्तावित ग्राम स्तर तक जी.आई.एस. मेपिंग एवं भू–जल संवर्धन योजनाओं हेतु सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग, नलकूप खनन हेतु अत्याधुनिक रिग मशीनें एवं इनका रियलटाइम ऑनलाइन मॉनीटरिंग, ई–प्रोक्योरमेंट, जेम पोर्टल, ई–वर्क्स प्रकिया का उपयोग एवं टोल फ्री सेवा से त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था है।

राज्य स्तरीय एवं 28 जिलों की जिला स्तरीय जल प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रमाणन पत्र प्राप्त हो चुका है। राज्य की शेष जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्तमान में विभाग के पास 1:50,000 स्केल के हाइड्रो–जियो–मार्फोलॉजिकल नक्शे उपलब्ध है जिनका उपयोग विभाग द्वारा नलकूप खनन हेतु किया जा रहा है। जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड राजनांदगांव, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ के 151 ग्रामों तथा जिला बेमेतरा के विकासखण्ड बेमेतरा, बेरला, नवागढ़, साजा के 80 ग्रामों तथा जिला मुंगेली, के विकासखण्ड मुंगेली, पथरिया के 52 ग्रामों के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र– मध्य, नागपुर (एन.आर.एस.सी.) द्वारा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के माध्यम से 1:10,000 स्केल पर हाइड्रो–जियो–मॉर्फोलाजिकल नक्शे आवश्यकतानुसार तैयार कराये गये है। जिनका उपयोग नलकूप खनन हेतु यथोचित स्थल के चयन हेतु किया जा रहा है।

### i. शिकायत एवं सुझाव प्रणाली :

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा **टोल फ्री नम्बर 1800-233-0008** स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

### ii. हैण्डपंप ट्रैकर :

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था हेतु पेयजल स्रोतों की मॉनिटरिंग हेतु मोबाईल आधारित प्रणाली विकसित की गयी है। जिसके माध्यम से जल स्रोत/हैण्डपंप की ऑनलाईन जी.आई.एस. लोकेशन

की जानकारी जैसे कि राज्य में कितने प्रतिशत हैण्डपंप विभिन्न कारणों से खराब है तथा इन हैण्डपंप के सुधार में औसतन कितने दिन लग रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है।

### iii. मोबाइल बेस्ड रिग मॉनिटरिंग सिस्टम (एम.आर.एम.एस.) :

ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था हेतु विभागीय रिग मशीनों के माध्यम से खनित किये जा रहे नलकूप एवं उन पर हैण्डपंप स्थापना तक के कार्यों की जानकारी मोबाइल बेस्ड रिग मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से एकत्र की जाती है।

### iv. मोबाइल बेस्ड कार्य मॉनिटरिंग सिस्टम (जल जीवन मिशन फील्ड मॉनिटरिंग एप):

जल क्रिया पोर्टल योजनाओं के विभिन्न चरणों में निर्माण गतिविधियों और सामग्रियों की निगरानी के लिए जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यान्वित एक फील्ड मॉनिटरिंग ऐप है। जल क्रिया पोर्टल घटक की फोटो, जीपीएस लोकेशन और तारीख–समय को कैप्चर करता है। जल क्रिया एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर क्षेत्र के उपयोगकर्ता और विभाग के अधिकारियों के लिए उपलब्ध है।

### v. सूचना एवं प्रचार - प्रसार गतिविधियाँ :

#### 1. जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता हेतु प्रचार-प्रसार अभियान :

ग्राम पंचायत स्तर पर जल गुणवत्ता अनुश्रवण और निगरानी के लिए आईईसी अभियान आयोजित किया जा रहा है जहां स्थानीय समुदाय के सदस्यों को पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता निरीक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में, जल के महत्त्व, जल जनित बीमारियों एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और पीने के पानी के सुरक्षित प्रबंधन और भंडारण आदि के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

#### 2. प्रचार-प्रसार गतिविधियां :

जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के द्वारा सोशल मीडिया अभियान जन आन्दोलन के रूप में चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत एवं जिले स्तर पर किये जा रहे उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी कार्यों से सम्बंधित फोटो, वीडियो एवं सफलता की कहानियों को जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज, ट्विटर एवं इन्स्टाग्राम पेज पर जिलों के द्वारा साझा किया जा रहा है।

#### 3. जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्षमता वृद्धि एवं कौशल विकास अभियान:

जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित होने वाले नल जल योजनाओं के संचालन/संधारण कार्य हेतु कौशल प्रशिक्षण के रूप में प्रदेश के ग्रामीण युवकों/युवतियों को प्रशिक्षित किया गया एवं यह कार्य निरंतर जारी है।

**4. जल जीवन मिशन के अंतर्गत जागरूकता अभियान :**

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कियान्वयन सहयोगी संस्थाओं द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इन सहयोगी संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पी.आर. आई. गतिविधियाँ, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (व्ही.डब्ल्यू.एस.सी) के बैठकों का आयोजन तथा समुदायों की भागीदारी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम, संचालित किया जा रहा है।

**5. जलगुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी :**

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु पंचायतों में जलगुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्टकिट उपलब्ध कराकर प्रत्येक पंचायत की 5–5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है एवं उनके माध्यम से ग्राम के पेयजल के स्रोतों के जल नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है एवं उन्ही के द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन प्रगति दर्ज की जा रही है।

**6. जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केन्द्र:**

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल परीक्षण अनुश्रवण हेतु परीक्षण कार्य में लगे मानव संसाधन एवं प्रयोगशाला के संसाधन को गुणवत्ता युक्त रखने हेतु अनुसंधान केन्द्र कार्यरत् हैं। राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला, रावणभाठा, रायपुर में पेयजल में मौजूद हैवी मेटल एवं विशेष घटकों जैसे आर्सेनिक, यूरेनियम, सीसा एवं एलम्यूनियम आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है।

**7. जल जीवन मिशन के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य :**

जल जीवन मिशन के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में गुणवत्ता युक्त रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है।

*जल ही जीवन है।*

जल को बचाएं। कल अपना सजाएं।।
सब को ये बताएं। पानी न व्यर्थ बहाएं।।

मान. श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन लो.स्वा.यां. विभाग, द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम मिंगाचल विकास खण्ड भैरमगढ़, जिला बीजापुर , हर घर जल ग्राम का प्रमाण पत्र सरपंच श्रीमती लक्ष्मीकांता को दिनांक 19.11.2024 को प्रदत्त

मान. श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन लो.स्वा.यां. विभाग, द्वारा ग्राम अगमधाम-खण्डवा, विकास खण्ड सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा की समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वित कार्यों का निरीक्षण दिनांक 01.01.2025 को किया गया

सौर ऊर्जा पर आधारित जलप्रदाय योजना, ग्राम बरपारा विकास खण्ड बैकुंठपुर जिला-कोरिया

## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

कार्यालय माननीय उप मुख्यमंत्री 0771-2510319, 2221318
कार्यालय सचिव 0771-2510496
कार्यालय मिशन संचालक 0771-2962920, 2442920
कार्यालय प्रमुख अभियंता 0771-2331368

**ग्रामीण पेयजल शिकायत हेतु टोल फ्री नं. -18002330008**